


## सूचना, शिक्षा एवं संचार प्रसारण

## 10.1 सूचनाओं का प्रसारण :-




## 10.2 जागरूकता कार्यक्रम:-

दीवार पर लिखावट, नुक्कड़ नाटक, ग्रामीण टास्क फोर्स/कार्यदल का प्रशिक्षण	विकास खण्ड विकास अधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी स्वयं संस्थाएं।
सिनेमा हाल में स्लाइड दिखाना।	जिलास्तरीय सम्बन्धित अधिकारी।
हस्तलिखित पंपलेट।	वि0ख0 अधिकारी, जिला जनसंपर्क अधिकारी जिला जनसंपर्क
मीडिया एवं प्रेस विज्ञप्ति	अधिकारी।
पोस्टर, कार्टून, चार्ट, फोटोग्राफ, क्षेत्रीय गीत	स्वयं सेवी संस्थाएं।
कम्युनिटी लीडर द्वारा प्रशिक्षण कार्यशाला समूह परिचर्चा एवं विशेष कर्तव्य।	खण्ड विकास अधिकारी एवं क्षेत्रीय अधिकारी

## 10.3 प्रशिक्षण की दिशा:-

प्रशिक्षण की दिशा	जिम्मेदारियाँ
बचाव एवं निकास का प्रशिक्षण आयोजित करना।	अग्निशमन अधिकारी, मास्टर ट्रेनर
आम नागरिक को शौचालय, प्राथमिक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य देखभाल की जानकारी देना	मुख्य चिकित्साधिकारी, ख0 वि0 अधिकारी, मास्टर ट्रेनर
पुलिस/अग्निशमन/चिकित्सा टास्क फोर्स को आपदा सम्बन्धी प्रशिक्षण देना।	आपदा प्रबन्धन विभाग, लखनऊ उत्तर प्रदेश।



समुदाय के कार्य एवं जिम्मेदारी	आपदा प्रबंधन हेतु आवश्यक गतिविधियाँ
आपदा संबंधी तैयारी की पहल	1 सामुदायिक तैयारी कार्यक्रम।
	2 ख0वि0 आपदा प्रबंधन समिति का गठन करना।
	3 खतरे वाले स्थानों का नक्शा बनाना।
	4 खतरे वाले स्थानों का नक्शा बनाना।
	5 पंचायत प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देना।
	6 वार्ड स्तर/ग्राम स्तर पर आपदा प्र0 समिति का गठन करना।
	7 मॉक-ड्रिल आयोजित करना।
	8 आधारित आकस्मिक योजना बनाना।

## 10.5 कार्यदलों का प्रशिक्षण :-

	<p><b>चेतावनी एवं सूचना प्रबन्धन कार्यदल:-</b> समुदाय को खतरे की चेतावनी देना। आपदा ग्रस्त क्षेत्रों की सुरक्षा हेतु रात्रि गस्त करना।</p> <p><b>खोज बचाव एवं निष्पादन कार्यदल:-</b> आपदा के तुरन्त बाद खोज बचाव कार्य आरम्भ करना।</p> <p><b>वृद्ध, विकलांग, महिला एवं शिशु सहायता कार्यदल:-</b> आपदा के दौरान इनको खोज करना एवं सुरक्षित स्थान पर ले जाना।</p> <p><b>प्राथमिक उपचार एवं चिकित्सा कार्यदल:-</b> आपदा के दौरान घायल हुए लोगों की देखभाल करना, प्राथमिक उपचार करना।</p> <p><b>आश्रय प्रबन्धन कार्यदल :-</b> सभी विस्थापितों को अस्थाई आवास में ले जाना एवं वर्गानुसार आश्रय की व्यवस्था करना।</p> <p><b>खाद्य प्रबन्धन कार्यदल :-</b> आपदा के तुरन्त बाद खाद्य पदार्थों का प्रबन्धन करना।</p> <p><b>जल, प्रबन्धन स्वच्छता एवं सफाई कार्यदल :-</b> आपदा ग्रस्त समुदाय हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।</p> <p><b>राहत परामर्श एवं समन्वय संवेदना कार्यदल :-</b> लोगों में धैर्य को प्रोत्साहित करना एवं जान माल की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए सांत्वना देना तथा उनको सामान्य स्थिति में लाने का प्रयास करना।</p> <p><b>क्षति आकलन एवं पुर्नस्थापना कार्यदल :-</b> आपदा के पश्चात क्षति आकलन कर प्रतिवेदन तैयार कर मुखिया को समर्पित करना।</p>
--	---

## 10.6 पश्चात कार्यवाही (Follow up Action) :-

जिला नियन्त्रण कक्ष	नियन्त्रण कक्ष को सदैव चालू रखना तथा आधार भूत उपकरणों को चालू हाल में स्थापित करना।
चेकलिस्ट	यह सुनिश्चित कर लें कि सभी संसाधन उन अधिकारी/कर्मचारी आदि को दिये गये हैं जो आपदा प्रबन्धन कार्य में लगे हैं।
सम्पर्क व्यक्ति विस्तृत जानकारी	सम्बन्धित व्यक्ति का विस्तृत ब्यौरा फोन नं० पता आदि सुनिश्चित कर लें।
कार्य विभाजन	सम्बन्धित अधिकारियों के बीच कार्यों का विभाजन संतुलित कर लें।
स्वास्थ्य	आपदा के दौरान या उसके बाद नियन्त्रण कक्ष में काम करने वाले अधिकारी या कर्मचारी अथवा आपदा प्रबन्धन में कार्यरत व्यक्ति के स्वास्थ्य की उपयुक्त देख-रेख, कर्मचारियों को अपने परिवार से सम्पर्क करने की सुविधा तथा बीमार होने की स्थिति में उन्हें आपदा प्रबन्धन में काम नहीं करने देना चाहिए।
वाहन	मैकेनिक से सुनिश्चित कर लिया जाय कि राहत तथा पुर्नवाह कार्य में लगे वाहन अच्छी स्थिति में है।
खाद्यान्न आपूर्ति	आपदा से पूर्व खाद्यान्न एवं साहत सामग्रियों की अपने-अपने स्थानीय गोदामों में उपलब्धता सुनिश्चित कर जिलाधिकारी को सूचित करेंगे।
जन वितरण प्रणाली	आपदा की स्थिति आने पर तुरन्त 75 प्रतिशत खाद्यान्न भण्डारों को राहते हेतु सुरक्षित कर लें।
आवंटन की उपलब्धता	राहत कार्य से निपटने के लिए समुचित धन की उपलब्धता जिले में जिलाधिकारी/क्षेत्रीय अधिकारी/खण्ड विकास अधिकारी सुनिश्चित करेंगे।
मॉक-ड्रिल	मॉक-ड्रिल के द्वारा आपदा प्रबन्धन की तैयारी को दुरुस्त कर लें।

## 10.7 बाढ़ के समय प्रभावित परिवारों को राहत पहुँचाने के लिए पंचायत राज संस्थाओं की भूमिका:-

ब्लाक प्रमुख/पंचायत प्रतिनिधि	1	सहायता 'वितरण हेतु लाभार्थियों का चयन एवं सूची निर्माण का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा किया जायेगा। क्योंकि पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति के अध्यक्ष ही ग्राम सभापति होते हैं और विकास खण्ड आपदा प्रबन्धन समिति कार्यकारिणी के सदस्य भी।
	2	परन्तु उन्हें सहायता वितरण हेतु मापदण्ड तथा तिथि निर्धारण प्रभावित गाँव की पहचान आदि करने एवं नाव चलाने की स्वीकृति देने का प्राधिकरण सक्षम अधिकारी के पास रहेगा।
	3	ग्राम पंचायत से यह अपेक्षा की जाती है कि वे संकट दूर करने के लिए स्वयं और सरकार की ओर से अपने-अपने क्षेत्र में हर तरह की कार्यवाही करें इस तरह मुखिया के कार्य निम्नवत् है।
	(क)	अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर अन्नाभाव के कारण संकट उत्पन्न होने पर और उनकी व्यापकता के बारे में समुचित प्राधिकारियों के पास सामयिक सूचना भेजना।
	(ख)	सरकार व स्वैच्छिक संगठनों से अविलम्ब सहायता आयोजित करना और सरकार की ओर से वितरण का कार्य सम्पन्न कराना।
	(ग)	ऋण वितरण कार्य में सहयोग प्रदान करना।
	(घ)	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य के उपायों को कार्यान्वित करने में सहायता पहुँचाना।
	(ङ.)	सहायता योजनाओं के कार्यन्वयन में सुझाव व सहायता देना।
	(च)	ग्राम पंचायत आपदा प्रबन्धन योजना का सृजन एवं अद्यतनीकरण कर उसे पंचायत समिति को भेजने में अहम भूमिका निभाना आदि इस तरह पंचायत राज संस्थाओं की प्राकृतिक व मानव जनित आपदाओं ग्राम पंचायत आपदा प्रबन्धन समिति की पूर्णभूमिका होती है जो महत्वपूर्ण होती है।

## 10.8 जाँच सूची:-

## (क) बाढ़

क्या करना है।	क्या नहीं करना है।
पूर्व अनुभव के आधार पर सुरक्षित स्थान की तलाश	बाढ़ के पानी में बिना किसी सहारे के नहीं जाना चाहिए।
घर के अन्दर भी अस्थाई रूप से ऊँचे स्थान का निर्माण।	बाढ़ का पानी नहीं पीना चाहिए यथा सम्भव गर्म पानी का उपयोग करना चाहिए।
सिर दर्द, पेट दर्द, पैखाना रोकने, पानी साफ करने वाली टिकिया आदि दवाइयों सुरक्षित रखें।	बच्चों को बाढ़ के पानी में या उसके आस-पास नहीं खेलने देना चाहिए।
सभी आवश्यक वस्तुओं, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखना	पानी में गाड़ी नहीं चलाना चाहिए।
यदि सम्भव हो तो मवेशियों को गैर बाढ़ प्रभावित इलाकों के सम्बन्धी के यहाँ हटा देना चाहिए।	बाढ़ के पानी को नहीं पीना चाहिए या बाढ़ के पानी से बनाए हुए भोजन को नहीं खाना चाहिए।
स्थानीय कर्मचारी एवं स्वयंसेवी संस्था एवं जन प्रतिनिधियों के सम्पर्क में रहे ताकि सारी जानकारी से अवगत हो सकें।	मछली, मीस आदि से सड़े हुए भोजन का उपयोग नहीं करना चाहिए।
बाढ़ के समय बूढ़े, बच्चे, अपंग पर नजर रखना चाहिए ताकि वे पानी में न जायें।	साँप काटने पर ओझा, भगत के पास नहीं जाना चाहिए।
सर्पदंश की स्थिति में तुरन्त प्रा0स्वा0के0 में जाना चाहिए।	पानी के तेज धार में पानी नहीं करना चाहिए।
क्षति आकलन की जानकारी सही-सही लोगों को देना चाहिए।	

**(ख) लू/तापघात :-**

क्या करना है।	क्या नहीं करना है।
अधिक जानकारी तथा सलाह के लिए रेडियो/टी0वी0 माइकिंग की सुविधा को सुनना।	सूर्य के साधे प्रकाश से दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच में।
अपने कार्य को सुबह समाप्त कर ले या शाम के लिए छोड़ दें। उचित मात्रा में पानी पिये तथा बाहर जाने से पहले कुछ खा लें। अपने सिर को धूप से बचाए तथा गीला कपडा टोपी छाता या चश्मे का प्रयोग करें। अपने साथ हमेशा पानी रखें। हल्के वस्त्र पहना करें।	लंबी यात्रा न करें। कार्बोनेटेड कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें। बाहर से घर वापस लौटने पर तुरंत पानी पीने से बचें।  शराब इत्यादि का सेवन नहीं करें। काले वस्त्र पहनने से बचें।

**(ग) सूखा :-**

क्या करना है।	क्या नहीं करना है।
पानी को सुरक्षित करना चाहिए। दूसरी फलस प्रणाली की व्यवस्था करना। अपने नजदीक के कृषि कार्यालय से सम्पर्क करना चाहिए। जल संरक्षण व्यवस्था विकसित करना चाहिए।	पानी के फिजूल खर्ची को रोकना चाहिए। वृक्षों की कटाई न करें। अधिक संख्या में व अधिक क्षमता का सिंचाई नलकूप स्थापित करने से बचें। पारंपरिक जल सत्रोतो को नष्ट नहीं करें।

**(घ) भूकंप :-**

क्या करना है।	क्या नहीं करना है।
अधिक जानकारी तथा सलाह के लिए रेडिया, टी0वी0/माइसिंग की सुविधा को सुनना चाहिए। अपने घर के सभी सदस्यों को बिजली पानी और गैस बन्द करने के बारे में बताना चाहिए। अपने आपको दरवाजे, लिंटेल् के चीने या घर के कोने में या मेज के नीचे या विस्तर के नीचे चाहिए। पुराने ख.डहर मकानों या बिजली के तारों का दीवार के नीचे नहीं करना चाहिए। वाहन को घरों दिवारों, ढलानों या बिजली के तारों के दूर रखें। अपने क्षतिग्रस्त घरों को छोड़ दें। पानी के वर्तन खाने के सामानों तथा अन्य साधार.। दवाओं को एकत्रित करें।	सड़क पर नहीं दौडना चाहिए। घरों, दीवारों, ढलानों से दूर रहना चाहिए।  मुख्य दरवाजे या लिपट से नहीं निकलना नहीं रहना चाहिए।  सीढ़ी का इस्तेमान नहीं करना चाहिए।  बिजली के तारों से सटे किसी भी वस्तु को नहीं छूना चाहिए। क्षतिग्रस्त घर के पास न जायें। घबराना नहीं चाहिए व हिम्मत से काम लेना चाहिए।

**(ड.) अग्निकाण्ड :-**

क्या करना है।	क्या नहीं करना है।
रात में घरों में बाल्टी एवं अन्य बड़े वर्तनों में पानी भर कर रखें। रात में घरों में बाल्टी एवं अन्य बड़े वर्तनों में पानी भर के रखें। अपने घर के सभी सदस्यों को बिजली बन्द करने के बारे में बताना चाहिए। घर के दरवाजे में ताला लगाकर अन्दर न सोयें।  पुराने खण्डहर मकानों या बिजली के तार या दीवार के नीचे नहीं रहना चाहिए। वाहन को घरों, दीवानों ढलानों या बिजली के तार से दूर रखें।  अपने क्षतिग्रस्त घरों को छोड़ दें। पानी के वर्तन, खाने के समानों तथा अन्य साधार.। दवाओं को एकत्रित करें।	घरों में लैम्प एवं चूल्हे के आगों को जलाए न रखें।  घरों में लैम्प एवं चूल्हे के आगों को जलाएं न रखें। राख बाहर फेकने से पहले आग की चिंगारी बुझा दें।  घर या गांव के निकट/ओसौनी का काम नहीं करें तथा डीजल इंजन नहीं चलाए। बीडी या सिगरेट पीकर जहां तथा नहीं फेके।  बिजली के तार से सटे किसी भी वस्तुओं को नहीं छूना चाहिए व तार पर क्षमता से अधिक दबाव न दें। क्षतिग्रस्त घर के पास न जलाएं। बच्चों को सलाई, चूल्हा, किरासन तेल, डिबरी, लालटेन, स्टोव इत्यादि के पास न जाने दें।

## 10.8 जिला स्तर पर आँकड़ों को सुधार या अद्यतन करने का समय निर्धारण:-

आकड़ों का विषय	निर्धारित समय
वर्षा एवं तापमान	छमाही
स्वयं सेवी संस्थान	छमाही
महत्वपूर्ण दूरभाष संख्या	छमाही
आश्रम प्रबन्ध सम्बन्धी सूचनाएं	छमाही
कमजोर एवं संवेदनशील तटबन्धों की स्थिति	छमाही
जल स्तर मापक यंत्र सम्बन्धी जानकारी	छमाही
कृषि विकास सम्बन्ध जानकारी	छमाही
राहत सामग्री उपलब्धता स्थिति	छमाही
गोदामों की स्थिति	छमाही
कार्य दल की सूची में फेर बदल	छमाही
आपदाओं का इतिहास	छमाही
प्रवास हेतु ऊँचा स्थान	छमाही
बैकल्पिक रास्ते	छमाही
नाव एवं वाहन की उपलब्धता	छमाही
चेतावनी प्रसारण एवं यंत्रों की स्थिति	छमाही
जिला आपदा प्रबन्ध योजना	छमाही
पंचायत एवं ग्राम स्तरीय योजना	छमाही
भारत आपदा संसाधन सूची	छमाही
बचाव एवं विकास यंत्र	छमाही
आबादी	छमाही
स्वास्थ्य केन्द्र सम्बन्धी जानकारी	छमाही
सड़क सम्बन्धी जानकारी	छमाही
संचार एवं बेतार संवाद व्यवस्था	छमाही
निजी व्यवसाय एवं एजेन्ट	छमाही
पंचायत प्रतिनिधियों द्वारा किये जा रहे गतिविधि	छमाही

## भारत आपदा संसाधन सूची

भारत आपदा संसाधन सूची (आई0डी0आर0एन0) एक इलेक्ट्रॉनिक संसाधन सूची है। जो राष्ट्रव्यापी है। इस सूची में आपदा के दौरान जवाबी कार्यवाही करने के लिए उपयोग में आने वाले उपकरणों एवं संसाधनों के विषय में सारी जानकारी है। उकपरण की उपलब्धता उसकी क्षमता उसे चलाने वाले आपरेटर तथा संसाधनों को किस माध्यम से एक जगह से दूरी जगह किस तरह ले जाया जा सकता है। के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इन जानकारियों की सहायता से आपदा की स्थिति में उपकरणों/ मानव संसाधनों जैसे-चिकित्सकों, अभियन्ताओं आदि की उपलब्धता सेवाओं को त्वरित गति से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सूची का अद्यतन दो स्तरों जिला एवं राज्य सरकार में ही किया जायेगा।

## उद्देश्य:-

1. आपात स्थिति में जबाबी कार्यवाही हेतु सभी संसाधनों की सूचनाओं का संकलन।
2. सरकार अधिकारियों/आपदा प्रबन्धकों की आपात स्थिति में जबाबी प्रक्रिया को त्वरित गति एवं नियोजित करने में सहयोग देना।

## समस्या:-

सुनियोजित रूप से सूचनाओं की संकलन का अभाव जिससे आपदा स्थिति में जबाबी कार्यवाही में आनावश्यक विलम्ब होता है।

1. सरकारी एवं गैर सरकारी एजेंसियों विभिन्न प्रकार के संसाधनों के श्रोत है। परन्तु इनकी जानकारी समिति है और आपस में समन्वय का अभाव है। जिससे फलस्वरूप आपात स्थिति में संयुक्त प्रयास सम्भव नहीं हो पाया है। सूचनाओं के आदान प्रदान की कमी से आपदा प्रबन्धन बाधित होता है।

## समाधान:-

1. सूचनाओं के संगलन का विकेन्द्रीकरण जिला राज्य एवं राष्ट्रस्तर संसाधनों की जानकारी का संकलन।

2. संसाधन, उपकरण, नार्मल संसाधन, आवश्यक वस्तुएं, जीवन रक्षक सामग्री की उपलब्धता स्थान एवं अन्य विवरण की जानकारी एक बेवसाइट पर संकलित करना।

पहुच:-तत्काल आईबी0आर0एन0 पर जानकारियों सिर्फ सरकारी जिला अधिकारी, इमरजेंसी आफिसर सचिव सह आयुक्त आपदा प्रबन्धन विभाग एवं अन्य आपदा प्रबन्धकों को ही उपलब्ध होगी।

वस्तु स्थिति:-गृह मंत्रालय आपदा प्रबन्धन प्रभाव एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्रों में अभी दो सरवर लगाये गये है जिस पर इस बेवसाइट को स्थापित किया गया है।

## आई0डी0आर0एन0 की विशेषताएं:-

1. यह बेव आधारित एक साईट है। जिससे भारत में कही भी किसी समय जानकारी प्राप्त की जा सकती है।
2. डाटा का अद्यतनीकरण उनका सर्वर्धन एवं संकलन विकेन्द्रीय प्रक्रिया के तहत जिला स्तर पर अधिकारियों के अधीन है एवं संचालित है।
3. इस बेवसाईट से जानकारियां प्राप्त कर आवश्यकतानुसार योजना बनायी जा सकती है।
4. डाटा अद्यतन करना तथा उसका संचालन करना बहुत की सरल है। निम्न जानकारियां इस बेवसाईट पर उपलब्ध है।
5. जिला/राज्य स्तर पर संसाधन प्रकार/किस्म एवं संख्या।
6. उकपरण तथा उसकी उपलब्धता का स्थान।
7. जीवन रक्षक सामग्री तथा उसकी उपलब्धता का स्थान।
8. मानव संसाधन तथा उसकी उपलब्धता का स्थान।
9. वस्तु का नाम।
10. वस्तु कोड।
11. डाटा संकलन एवं अद्यतन की प्रक्रिया जिला समन्वयक बैठक का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए।
12. जिले में जिला अधिकारी/नोडल अधिकारी/उप समाहर्ता प्रभारी आपदा प्रबन्धन प्रभारी हो आई0डी0आर0एन0 की पूरी प्रक्रिया की जानकारी है।

## व्यातव्य:-

इस बेवसाईट पर कुल 226 प्रकार के आपदा प्रबन्धन संसाधनों का विवरण है जिसे जिला अधिनस्थ सभी सरकारी गैर सरकारी एवं सैनिक संगठनों को प्रत्येक छः माह पर जिला आपदा प्रबन्धन शाखा को निर्धारित प्रपत्र में निश्चित रूप से भेज देना है अथवा जिला प्रशासन द्वारा मांग करने पर पत्र प्राप्ति के सात दिनों के अन्दर निश्चित रूप अधोहस्ताक्षरी से भेज देना है। इसके लिए विहित प्रपत्र की प्रति संलग्नक में प्रदर्शित है। इस प्रपत्र की छायाप्रति का उपयोग किया जायेगा। इस प्रपत्र में निम्नलिखित चार बिन्दुओं का समावेश किया गया है।

(104)

(क) प्रपत्र-1 इसमें 226 प्रकार के विभिन्न संसाधनों (उपकरण, कुशल मानव, यथा चिकित्सक) अभियन्ता, मैकेनिक इत्यादि तथा संकट कालीन सामग्री) की सूची है। उपलब्धता के आधार पर संसाधन के नाम के सामने हां/ना लिखें।

(ख) प्रपत्र-2 ए:-इसमें उपलब्ध उपकरणों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी भरें।

(ख) प्रपत्र-2 बी:-इसमें कुशल मानव संसाधनों से सम्बन्धित विस्तृत जानकारी भरें।

(ख) प्रपत्र-2 सी:-इस प्रपत्र में संकट कालीन सामग्रियों की विस्तृत जानकारी भरें वे वैसी सामग्री है।

जानकारी उपलब्धता परिवर्तनशील होती है।

प्रपत्र 1 में जहां पर चिह्नित हो वहां पर सूचनाएं भरना नितांत आवश्यक है क्योंकि उक्त सूचना के बगैर बेवसाईट आकडो को अपलोड नहीं कर सकेगा। जिला परियोजना अधिकारी आपदा प्रबन्धन/उप जिला अधिकारी सिद्धार्थनगर निर्धारित अंतराल पर सभी विभागों से आकडों/सूचनाएं प्राप्त करेंगे तथा जिला सूचना विज्ञान अधिकारी को इस बेवसाईट पर सूचनाएं दर्ज कराने हेतु अग्रसारित करेंगे। मांगी गयी सूचनाएं नहीं उपलब्धता कराने वाले विभागों/अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी तथा राज्य व केन्द्र सरकार के सम्बन्धित विभाग को उचित कार्यवाही हेतु जिला परियोजना अधिकारी आपदा प्रबन्धन द्वारा जिला अधिकारी के माध्यम से पत्र प्रेषित किया जायेगा।

सिद्धार्थनगर जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। इस जिले के कुछ विकास खण्ड आंशिक रूप से एवं कुछ वि०ख० पूर्ण रूप से बाढ़ जैसी आपदाओं से प्रत्येक वर्ष प्रभावित हो जाते हैं। बाढ़ के दौरान अतिप्रभावित क्षेत्रों में मात्र नाव ही आवागमन का साधन होता है। ग्रामीण क्षेत्रों में नाव दुर्घटना से जान माल की अधिक क्षति होती है। नाव दुर्घटना प्रायः निम्नकारणों से होती है।

1. नाव पर उसकी क्षमता से अधिक यात्रियों का सवार होना।
2. नाव में छेद होने के कारण अंदर में जल जमाव होना।
3. नाव पर आदमी के साथ-साथ जानवर को भी सवारी कराना।
4. नाविकों का पूर्ण प्रशिक्षित न होना।
5. नाव को तेज धार द्वारा पार कराना।
6. नाव के किनारे लगाने से पहले ही यात्रियों का जल्दबाजी किया जाना।
7. तेज हवाओं के दौरान भी नाव का परिचालन करना।
8. भाड़ा को लेकर नाविक से बहस।
9. अप्रशिक्षित नाविक द्वारा नाव का परिचालन।

उपयुक्त संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए बाढ़ आने एवं नावों के परिचालन शुरू होने के पहले पर्चा, पंपलेट एवं जगह-जगह नाव दुर्घटना से बचने हेतु होडिंग लगाकर ग्रामीणों को जागरूक किया जा सकता है।

बाढ़ आने के पूर्व क्षेत्रीय अधिकारी अपने गांव के स्वयं सेवियों तथा सरकारी सेवक के माध्यम से निजी नावों का सर्वेक्षण कर उसके आकार यात्री दोनों की क्षमता तथा इसकी परिसम्पत्ति स्थिति का।

#### 12.1 अग्निकांड के पूर्व एवं पश्चात के कार्य व्यवस्था:-

सिद्धार्थनगर जिले की 70 प्रतिशत आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है खासकर अप्रैल एवं मई माह में तेज गर्मी और गावों का खुला वातावरण आग को फैलने में तीव्रता पैदा कर देती है ग्रामीण क्षेत्रों में अग्निकाण्डों की समस्याओं के स्वरूप निम्नवत है।

1. खेत खलिहान, खपड़ा तथा फूस के मकान तीव्रगति से प्रभावित होते हैं। खुला वातावरण उसमें और भी तीव्रता लाते हैं। आग लगने के उपरान्त ग्रामीण संगठित हो तो प्रारम्भिक अग्निशमन के लिए कुछ उकपरण जब तक खोजे तब तक आग फैल चुकी होती है और वे असहाय सा देखते रहे जाते हैं।
2. संचार अथवा टेलीफोन आदि की व्यवस्था नहीं होने के कारण सूत्रों द्वारा अग्निशमनों को सुरक्षा हेतु सूचित नहीं कर पाते हैं। यदि किसी प्रकार सूचनाएं अग्निशमनों को मिलती है तो उतनी देर हो चुकी होती है कि विशेष लाभ मिलने की आशा नहीं रहती है।
3. सड़क के अभाव में फायर बिग्रेड की गाड़ियाँ गाँव तक पहुंच नहीं पाती हैं। यदि रास्त आदि बनाकर किसी तरह पहुंचते हैं तो काफी देर हो चुकी होती है।
4. अग्निशमन हेतु जल स्रोत का अभाव एक अलग गंभीर समस्या होती है खास कर ग्रीष्म काल में कहीं दूर से पानी की व्यवस्था कर आग की तीव्रता को रोकने में विलम्ब होती है और परिश्रम बर्बाद होता है।

उपर्युक्त संदर्भ में ग्रामीण क्षेत्रों के लिए फायर बूथों की स्थापना अत्यन्त लाभप्रद सिद्ध हो सकता है प्रत्येक गांव में आपदा प्रबन्धन समिति गठन किये गये हैं। इनकी मदद से फायर बीटर्स, फायर टेक, बाल्टी, रस्सी, कुल्हाड़ी आदि छोटे-छोटे अग्निशमन उकपरण एवं एक घण्टी सार्वजनिक स्थल पर पर्व ही से ही व्यवस्था कर रखें। ताकि दुर्घटना होने पर कोई भी जिम्मेवार व्यक्ति उस घण्टी को बजा सके ताकि सभी लोग सतर्क हो सकें और एकत्रित होकर आग को प्रारम्भिक अवस्था में ही रोक थाम किया जा सकें।

अग्निकाण्ड जैसी घटनाओं को रोकने के लिए ग्रीष्म काल के पूर्व लोगों के अन्दर प्रचार प्रसार के माध्यम से जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता है। प्रचार-प्रसार के लिए जगह-जगह होडिंग लगाये जा सकते हैं दीवार, पर्चा एवं सम्पलेट के माध्यम से सभी लोगों को जागरूक किया जा सकता है।

प्रत्येक क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी पंचायत समिति की बैठक में भाग लेकर अग्निकाण्ड की रोक थाम कर जनप्रतिनिधियों के साथ सुझावों का आदान प्रदान कर सकते हैं तथा जिला जनसम्पर्क अधिकारी पूरे जिले के देहाती क्षेत्रों में इसका प्रचार ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा अविलंब करवाना सुनिश्चित कर सकते हैं।

गावों में हवा के झोको को तेज होने के पूर्व सुबह 8-9 बजे तक खाना बनाकर आग को पूरी तरह से बुझा दें। राख को बाहर फेकने से पूर्व पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि उसमें आग की चिंगारी नहीं है। खाना वैसी जगहों पर पकाएं पहां हवा का झोका नहीं लगे। हुक्का, बीड़ी, सिगरेट आदि पी कर उसे पूरी तरह बुझाकर फेंके। जल संग्रहण की व्यवस्था रखी जाये ताकि आग का शीघ्र काबू पाया जा सकें। आग जनी जैसे दुर्घटनाओं के पश्चात् क्षेत्रीय अधिकारी अविलम्ब सूचना मिलते ही घटना स्थल पर पहुंचकर खाद्यान्न वस्त्र तथा अन्य राहत सुविधा अपने विकास खण्डीय अधिकारी के अनुशांसा के उपरान्त निर्धारित मापदण्डों के अनुसार अविलम्ब वितरित कर सकते हैं।



**12.2 दंगा एवं अन्य हिंसात्मक घटना के पूर्व एवं बाद की कार्य व्यवस्था:-**

दंगा एवं कई प्रकार के अन्य हिंसात्मक घटनाएं भी आपदा का एक रूप है। इस प्रकार की आपदाओं मानव जीवन आपदायें कहलाती हैं। आतंकवाद, अग्रवाद, जातीय विरोधाभाव के चलते दंगा का रूप लेता है। जिससे कई लोगों की जाने जाती है और सम्पत्ति का भी नुकसान होता है।

दंगा को रोकने का एक पहलु तो यह है कि आपस में भाई चारा और सामंजस्य स्थापित कर समाज में रहना चाहिए। जबकि दूसरा पहलु यह है कि अगर दंगा फसाद हो तो उसके पूर्व और पश्चात् का प्रबन्ध करना दंगा होने के पूर्व ग्रामीणों एवं शहरियों के बीच आगरुकता अभियान चलाकर जातीय संघर्ष रोकना उग्रवाद को बढ़वा न देना छोटे-छोटे झगड़ों को फैसेले से रोकना तथा सामाजिक तत्वों को चिन्हित करना आदि कार्य से हद तक दंगा फसाद में होने वाली जान-माल की क्षति रोका जा सकता है। पुलिस बल द्वारा दंगा संभावित क्षेत्र में निगरानी एवं चौकसी कर आतंकवादी एवं असामाजिक तत्वों को चिन्हित कर उसे हिरासत में रखना सभी थाना प्रभारी होमागार्ड को संवेदनशील स्थानों पर तैनाती करना तथा चलायमान निगरानी दल गठित कर लोगों की गतिविधियों पर नजर रखना शामिल है।

दंगा होने के पश्चात् सबसे पहले घायलों को त्वरित एवं समुचित चिकित्सा एक आवश्यक पहलू है अस्पताल में आकस्मिक चिकित्सा की समुचित व्यवस्था एम्बुलेंस तथा चिकित्सा हेतु कर्मचारियों तथा चिकित्सकों की उपलब्धता घायलों की मरने से बचा सकता है। अस्पतालों में जीवन रक्षक दवा आकस्मिक चिकित्सा हेतु पूर्व से ही भण्डारित कर सुरक्षित रख सकते हैं। जो दंगा या अन्य हिंसक घटनाओं के दौरान पीड़ितों को मदद पहुँचा सकता है।

दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में राहत शिविर का आयोजन करना अपर जिलाधिकारी तथा संबंधित क्षेत्रिय अधिकारी की जिम्मेदारी है जो पीड़ितों को स्थिति नियंत्रित होने तक भोजन उपलब्ध करायेगें। मृतकों के परिवार वाले की समीक्षा उपरान्त अनुग्रह अनुदान राशि उचित मानक के अनुसार वितरित करना क्षेत्रिय अधिकारी की जिम्मेदारी है।

**12.3 ट्रेन/सड़क दुर्घटना से सम्बन्धित पूर्व एवं बाद की कार्य व्यवस्था :-**

सिद्धार्थनगर जिला बाढ़ प्रभावित क्षेत्र होने के वजह से जिन क्षेत्रों में बाढ़ आती है उन क्षेत्रों सड़को की स्थिति प्रत्येक वर्ष मरम्मत के बावजूद भी प्रायः खराब है खराब सड़क पर वाहन चालकों की थोड़ी असावधानी दुर्घटना का स्वरूप बन जाता है। जिससे काफी जान माल की क्षति होती है। आम तौर पर ट्रेन एवं सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं।

1. सड़क की स्थिति खराब रहना।
2. वाहनो की ओभरलोडिंग यात्रा करना।
3. अप्रशिक्षित चालको द्वारा वाहन को चलाना।
4. ट्रेन के परिचालन में तकनीकी खराबी का होना तोड़ फोड़ या मानवीय भूल चूक।
5. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में भूमि का धसना।
6. मानव की लापरवाही।
7. वाहनों की छत पर यात्रा करना।
8. तेज गति से वाहन चलाना।
9. ट्रैफिक व्यवस्था को नजर अंदाज करना आदि-आदि।

ट्रेन एवं सड़क दुर्घटनाओं को रोकने हेतु पूर्व की तैयारी अति आवश्यक हैं। वाहनों में होने वाली तकनीकी खराबी को सुधारपरक परिचालन करना चाहिए लोगों में वाहन चलाने एवं रेल मार्ग द्वारा सफर करने में बरतने वाली सावधानियों का प्रसार-प्रचार एवं जागरुकता द्वारा इसका रोक थाम किया जा सकता है। जिला प्रशासन द्वारा इस आपदा से होने वाली क्षति को कम करने के लिए कुछ आवश्यक यंत्र जैसे बड़ा कुल्हाड़ी, रस्सी, क्रेन, कटर, संचार सुविधा, एम्बुलेंस आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करना। दुर्घटना के पश्चात् बचाव एवं निकास कार्य दल को संगठित कर उप जिलाधिकारी तथा पुलिस अधीक्षक के नेतृत्व में कार्यवाही शुरू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाने चिकित्सा हेतु जीवन रक्षक दवाओं को भण्डारण व कर्मचारियों एवं चिकित्सकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर घायलों को मृत होने से बचाया जा सकता है।

उप जिला अधिकारी एवं सम्बन्धित क्षेत्र के क्षेत्रीय अधिकारी दुर्घटनाग्रस्त स्थानों पर भोजन एवं राहत शिविर आयोजित कर स्थिति को नियंत्रित करने में मदद पहुंचाये तथा पीड़ितों की सुरक्षित घरों तक वापस भेजने की भी व्यवस्था करना उनकी जिम्मेवारी का एक अंग है।

खण्ड विकास अधिकारी घायल एवं निकट परिवार को उचित मानक के अनुसार अनुग्रह अनुदान राशि वितरित कर प्रतिवेदन जिला प्रशासन को उपलब्धत करायेगें।

(107)

12.4 सम्भागीय आपदा से निपटने हेतु कुछ महत्वपूर्ण टेलीफोन नम्बर  
जिलास्तरीय मुख्य दूरभाष संख्या-

क्र०सं०	पद	सी०ओ०जी०	कार्यालय	आवास
1.	कोलोनल जनरल स्टॉफ इलाहाबाद			94153-62675
2.	राहत आयुक्त लखनऊ		0522-2238200	फै.2238084 / 2236305
3.	आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती	9454417496	05542-383432 फैक्स 233432	2462269
4.	अपर आयुक्त मण्डल बस्ती	9454145900	245301	283151
5.	जिलाधिकारी	9454417530	222169	222333 / 220174
6.	अपर जिलाधिकारी	9454417601	221850	222174
7.	मुख्य विकास अधिकारी	-	222226	222173
8.	वरिष्ठ कोषाधिकारी	-	222190	221333 मो० 9450572410
9.	जिलाबेसिक शिक्षा अधिकारी	-	220583	मो० 9453004121
10.	सदर अस्पताल	-	222001	-
11.	परियोजन निदेशक डीआरडीए	-	222287	220023 मो० 9839086307
12.	जिला नजारत( कलेक्ट्रेट )	-	220597	-
13.	सहायक अभियन्ता, डी०आर०डी०ए०	-	222287	220344
14.	एन०आई०सी०	-	220860	-
15.	जिला विकास अधिकारी	-	222290	220079 मो० 9415391655
16.	अग्निशमन	-	222222 / 101	-
17.	कार्यालय जिला कारागार	-	222405	-
18.	जिला विद्यालय निरीक्षक	-	220443	मो० 9415163411
19.	अधिकासी अभियन्ता ड्रेनेज खण्ड	-	220730	222127 / मो०9415258734
20.	अधिकासी अभियन्ता सिंचाई नि.	-	220430	220830 / 9412273692
21.	अधिकासी अभियन्ता जल निगम	-	222324	9473942704
22.	अधिकासी अभियन्ता पी०डब्लू०डी०	-	222150	222160 मो० 9415345359
23.	अधि०अभियन्ता विद्युत,सि०नगर	-	222194	222305 मो० 9450963843
24.	अधि०अभियन्ता विद्युत,डुमरियागंज	-	-	मो० 9450963798
25.	जिला पंचायत राज अधिकारी	-	220003	मो० 9648640722
26.	मुख्य पशु चिकित्साधिकारी	-	220572	मो० 9450886915
27.	टेलीफोन एक्सचेंज	-	222000	-
28.	पुलिस अधीक्षक	-	222183	222302
29.	अपर पुलिस अधीक्षक	-	222183	222179
30.	जिला पूर्ति अधिकारी	-	222145	मो० 9415351173
31.	उप कृषि निदेशक	-	221315	मो० 9415263837
32.	प्रबन्धक जिला उद्योग केन्द्र	-	220328	मो० 9450196799
33.	जिला समाज कल्याण अधिकारी	-	220058	-
34.	उप जिलाधिकारी, नौगढ़	9454415936	220597	-
35.	उप जिलाधिकारी, बांसी	9454415937	255202	255254
36.	उप जिलाधिकारी,डुमरियागंज	9454415938	244439	244439
37.	उप जिलाधिकारी, इटवा	9454415939	231327	231348
38.	उपजिलाधिकारी, शोहरतगढ़	9454415940	263385	2220236
39.	तहसीलदार, नौगढ़	9454415943	220571	220571

(108)

40.	तहसीलदार, बांसी	9454415944	255202	255202
41.	तहसीलदार, डुमरियागंज	9454415945	244434	
42.	तहसीलदार, इटवा	9454415946	231227	
43.	तहसीलदार, शोहरतगढ़	9454415947	263385	
44.	जिला कमाण्डेन्ट होमगार्डस्		220753	मो 9410003789

पुलिस विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दूरभा T न0 जनपद-सिद्धार्थनगर।

क्र०सं०	पद	सी०यू०जी०	मोबाइल
1.	पुलिस अधीक्षक	रु1945440,0305	
2.	अपर पुलिस अधीक्षक	रु1945440,1112	
3.	क्षेत्राधिकारी सदर	रु1945440,1346	
4.	क्षेत्राधिकारी शोहरतगढ़	रु1945440,1347	
5.	क्षेत्राधिकारी, बांसी	रु1945440,1348	
6.	क्षेत्राधिकारी, इटवा	रु1945440,1349	
7.	क्षेत्राधिकारी, डुमरियागंज	रु1945440,1350	
8.	प्रतिसार निरीक्षक	रु1945440,2394	
9.	पुलिस आफिस	रु1945440,2747	
10.	थाना-कपिलवस्तु	रु1945440,4226	
11.	थाना-बांसी	रु1945440,4227	
12.	थाना-भवानीगंज	रु1945440,4228	
13.	थाना-चिल्हिया	रु1945440,4229	
14.	थाना-ढेबरूआ	रु1945440,4230	
15.	थाना-डुमरियागंज	रु1945440,4232	
16.	थाना-गोल्हौरा	रु1945440,4233	
17.	थाना-इटवा	रु1945440,4234	
18.	थाना-जोगियाउदयपुर	रु1945440,4235	
19.	थाना-खेसरहा	रु1945440,4236	
20.	थाना-लोटन	रु1945440,4237	
21.	थाना-मिश्रौलिया	रु1945440,4238	
22.	थाना-मोहाना	रु1945440,4239	
23.	थाना-पथराबाजार	रु1945440,4240	
24.	थाना-शोहरतगढ़	रु1945440,4241	
25.	थाना-तेतरी बाजार (सिद्धार्थनगर)	रु1945440,4242	
26.	थाना त्रिलोकपुर	रु1945440,4243	
27.	थाना-उसका बाजार	रु1945440,4244	

नोट:-सी०यू०जी० से सी०यू०जी० पर वार्ता करने हेतु टोटल हैज वन (रु1) सहित 12 अंक मोबाइल में नम्बर डायल करने पर वार्ता होगी एवं अन्य मोबाइल पर वार्ता करने हेतु रु1 नहीं लगाना है।

(109)  
भाग-13  
विविध सूचनाएं

13.1 आश्रय हेतु अस्थायी आश्रय की व्यवस्था मुख्यालय (टेन्ट हाउस) जनपद-सिद्धार्थनगर।

क्र०सं०	नाम	पता	दूरभाष
1	आर०के० किशोर टेन्ट हाउस	परसा चौराहा भीमापार सिद्धार्थनगर	
2	न्यू आर०के० किशोर टेन्ट हाउस	परसा चौराहा भीमापार सिद्धार्थनगर	
3	गुलहशन टेन्ट हाउस	पुराना नौगढ़ सिद्धार्थनगर	

13.2 अन्य आवश्यक दूरभाष नम्बर जनपद-सिद्धार्थनगर।

क्र०सं०	पद नाम	पता	कार्यालय दूरभाष
1	अधिशाली अधिकारी	नगर पालिका, सिद्धार्थनगर।	220358
2	अधिशाली अधिकारी	नगर पालिका, बांसी, सिद्धार्थनगर।	255420
3	अधिशाली अधिकारी	नगर पंचायत शोहरतगढ़, सिद्धार्थनगर।	263283
4	अधिशाली अधिकारी	नगर पंचायत, बढनी, सिद्धार्थनगर।	266200
5	अधिशाली अधिकारी	जिला पंचायत, सिद्धार्थनगर।	221376

13.3 बैंक, जनपद-सिद्धार्थनगर।

क्र०सं०	पद नाम	कार्यालय दूरभाष	कार्यालय दूरभाष
1	वरिष्ठ प्रबन्धक सेंट्रल बैंक	05545-255225	-
2	वरिष्ठ प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक मेन ब्रांच	05544-220195	-
3	वरिष्ठ प्रबन्धक सेंट्रल बैंक	-	-
4	महा प्रबन्धक स्टेट बैंक	0551-2336911	9415211328
5	वरिष्ठ प्रबन्धक बैंक आफ बडौदा	-	-
6	वरिष्ठ प्रबन्धक पूर्वांचल ग्रामीण बैंक	05544-222141	-
7	वरिष्ठ प्रबन्धक यूनियन बैंक	05544-252304	9415747374
8	मुख्य प्रबन्धक इलाहाबाद बैंक	05544-222643	-
9	वरिष्ठ प्रबन्धक भूमि विकास बैंक	05544-220674	-
10	वरिष्ठ प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक सिविल लाइन	-	-
11	अध्यक्ष कोऑपरेटिव बैंक	05544-222216	9838959772

13.4 पेट्रोल पम्प एवं गैस एजेन्सी उपलब्ध:-

पम्प/एजेन्सी का प्रकार	क्र० सं०	नाम एजेन्सी/पता	कार्यालय दूरभाष	मोबाइल नं०
पेट्रोल पम्प	1	मेसर्स जगदम्बा आटो सर्विस तेतरी बाजार	05544-2222134 05544-252326	9935623045 9415037826
	2	मेसर्स खेतान आयल कम्पनी, तेतरी बाजार	05544-220787	9415037830
	3	मेसर्स प्रशान्त आटोमोबाइल, उसका बाजार	05544-252026	9415037859
	4	मेसर्स कपिलवस्तु फिलिंग स्टेशन बर्डपुर	05544-261502	9415108800
	5	मेसर्स जय फिलिंग सेन्टर जोगिया	05544-221390	9415021560
	6	मेसर्स छत्रपाल, संतो 1 पेट्रो ऑयल कम्पनी सनई	05544.221395	941566957
	7	मेसर्स बन्धू ऑयल कम्पनी, सिद्धार्थनगर	252457	9415321694
	8	मेसर्स चौधरी फीडिंग स्टेशन रोड लोटन	05544-261618	9452577183
	9	मेसर्स गौतम बुद्ध आटो सर्विस बर्डपुर	05544 2615618	9415476924
	10	मेसर्स विकास फिलिंग, स्टेशन सिद्धार्थनगर		9415878832
	11	मेसर्स सिद्धार्थनगर फिलिंग स्टेशन, बहुडरा		9919800596
	12	मेसर्स महेन्द्रा आटोमोबाइल्स, बेलवा लगुनही	05545 233327	9415037819
	13	मेसर्स दिलीप फिलिंग स्टेशन बांसी	05545 255227	9415712232
	14	मेसर्स भारत फिलिंग स्टेशन बांसी	05545 255581	
	15	मेसर्स लकी फ्यूल सेन्टर गोलहौरा	05544 250113	
	16	मेसर्स नाथ फिलिंग स्टेशन, कोल्हुआ खुर्द	05545 256320	9415714223
	17	मेसर्स श्रीनाथ जी पेट्रोलियम नचनी (तिलौली)	05545 246182	

(110)			
	18	मेसर्स अमर फीलिंग स्टेशन, कोल्हुआ खुर्द	9335084816
	19	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र, मिठवल बुजुर्ग	9415418283 9838767677
	20	मेसर्स अमर आटो मोबाइल्स बेवा चौराहा	05541 254611 / 264786
	21	मेसर्स बट्टी ट्रेडिंग कम्पनी, भवानीगंज	05541 261094 9415092095
	22	मेसर्स प्रकाश पेट्रो प्वाइन्ट, हल्लौर	05541 244625 9415037377
	23	मेसर्स सिद्धार्थ सर्विस सेन्टर, डुमरियागंज	05541 244625 9415542425
	24	मेसर्स विजयी आटोमोबाइल, सिंगारजोत	9415037835
	25	मेसर्स हर्षित आटोमोबाइल्स भडरिया	05541 261124 9838699770
	26	मेसर्स सैफुल्लाह आटो फीडिंग सेखई सेनापति	9415171216
	27	मेसर्स किसान आटो मोबाइल बयारा	941565705
	28	मेसर्स लक्ष्मी प्रसाद केदारनाथ पेट्रो प्वाइन्ट बरगदवा	05541 244933 9838790221
	29	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र पलेसर	9415122814
	30	मेसर्स याम आटो सर्विस इटवा	05541 231309 9415038821
	31	मेसर्स अग्रवाल आटो मोबाइल इटवा	05541 231311 9415738005
	32	मेसर्स चक्रवर्ती आटोमोबाइल्स बिस्कोहर	05541 422015 9415037079
	33	मेसर्स सिद्धार्थ फ्यूल सेन्टर, परसा खुनियांव	05541 274103 9450572283
	34	मेसर्स स्वस्तिक बेंचर्स प्रा0लि0बंगरी	9838419081
	35	मेसर्स किसान सेवा केन्द्र, विस्कोहर भनवापुर	9415069748
	36	मेसर्स विजय आटोमोबाइल्स बढनी	05543 272254 945038811
	37	मेसर्स बोरा आटो मोबाइल्स शोहरतगढ	05544 263355 9415038926
	38	मेसर्स बुद्धा फीडिल स्टेशन, ढेबरुआ	9415038926
	39	मेसर्स अग्रवाल आटोमोबाइल्स शोहरतगढ	05544 263609 9415038926
	40	मेसर्स अन्सार फीडिंग स्टेशन, बहुडारी	
	41	मेसर्स श्रीनेत फीडिंग स्टेशन, चिल्हिया	05544 264500 9415853800
केरोसिन ऑयल	1	मेसर्स बृजमोहन लाल देवी प्रसाद, शोहरतगढ	263461 9415071556
	2	मेसर्स बृजमोहन लाल देवी प्रसाद, ढेबरुआ	227496 9415038926
	3	मेसर्स बृजमोहन लाल, देवी प्रसाद, बर्डपुर	222265
	4	मेसर्स लखीचन्द रामकुमार, तेतरी बाजार	263097
	5	मेसर्स लखीचन्द राम कुमार, शोहरतगढ	23165 9450553875
	6	मेसर्स ज्ञानदास एण्ड कम्पनी, इटवा	222220
	7	मेसर्स खेतान आयलय कम्पनी तेतरी बाजार	244138
	8	मेसर्स आर0के0बी0के0 डुमरियागंज	
	9	मेसर्स आर0के0बी0के0 बांसी	252322
	10	मेसर्स केदारनाथ गोपीराम, उसका	272264 9415829529
	11	मेसर्स केदारनाथ गोपीराम, इटवा	231325 9415122904
	12	मेसर्स केदारनाथ गोपीराम, बढनी	222122
	13	मेसर्स सीतारामपरसराम का, तेतरी बाजार	225227
	14	मेसर्स दिलीप फीडिंग, स्टेशन, बांसी	222134
	15	मेसर्स बालमुकुन्द कमलाप्रसाद, तेतरी बाजार	222134
गैस एजेन्सी	1	आशीर्वाद गैस सर्विस, सिद्धार्थनगर	05544 222136
	2	उत्तम गैस सर्विस, सिद्धार्थनगर	05544 220206 9415163185
	3	सिद्धार्थ गैस सर्विस, बर्डपुर, सि0नगर	05544 261555 9838808997
	4	बांसी गैस सर्वि, बांसी, सि0नगर	05545 255209 9450566453
	5	वंशल इण्डियन गैस सर्विस, बढनी सि0नगर	05543 272260 9415071951
	6	राजा गैस सर्विस, इटवा बाजार, सि0नगर	05541 231329 9450550950
	7	जायसवाल गैस सर्विस, डुमरियागंज, सि0नगर	05541 245100 9919937011
			05541 245101

## 13.5 सिद्धार्थनगर जनपद में उपलब्ध मनोरंजन विभाग-

क्र०सं०	नाम टाकिज	पता	दूरभा T
1	उर्वशी पैलेस बांसी	बांसी, सिद्धार्थनगर	05545255055
2	शारदा चित्र मन्दिर	बांसी, सिद्धार्थनगर	9305699743
3	ओम चित्र मन्दिर	खजुरिया सिद्धार्थनगर	9838928923
4	राज सिनेमा	शोहरतगढ़, सि०नगर	9838642033
5	कबीर पिक्चर पैलेस	बढनी सिद्धार्थनगर	9451994013
6	ज्योति चित्र मन्दिर	तेतरी बाजार, सिद्धार्थनगर	05544221813

## 13.6 बाढ़ शिविरो के नाम:-

## बाढ़ शरणालय जनपद-सिद्धार्थनगर

## तहसील-नौगढ़

क्र०सं०	बाढ़ शरणालय जहा स्थित है	बाढ़ शरणालय की स्थिति	विेष विवरण
1	बनियाडीह	ठीक है	
2	सोहांस	ठीक है	
3	उसका बाजार	ठीक है	
4	जोगिया	ठीक है	
5	टडिया बाजार	ठीक है	

## तहसील-बांसी,

क्र०सं०	बाढ़ शरणालय जहा स्थित है	स्थिति	बैकल्पिक व्यवस्था का स्थान
1	बांसी	वर्तमान में मा० राज कुमार बांसी के डिग्री के अनुसार उन्ही के कब्जे में है	रतनसेन इंटर कालेज बांसी
2	सूपा राजा	ठीक है	जू०हा०स्कूल सूपाराजा
3	टीकुर	जर्जर अवस्था में है।	प्रा०पा०टीकुर
4	मऊ	गिर गया है	जू०हा०स्कूल मऊ

## तहसील-शोहरतगढ़

क्र०सं०	बाढ़ शरणालय जहा स्थित है	स्थान का नाम
1	जम्हिरिया	प्रा०वि० जम्हिरिया
2	मटियार उर्फ भुतहवा	पू०मा०वि० भुतहवा
3	कोटियादीगर	पू०मा०वि० कोटियादीगर
4	परसा	ग्रामीण जनता लघु मा०वि० परसा

नोट:- तहसील शोहरतगढ़ में कोई बाढ़ शरणालय भवन नहीं है बाढ़ शरणालय हेतु उपरोक्त स्थान चयनित (चिन्हित किया गया है)

## तहसील-इटवा

क्र०सं०	बाढ़ शरणालय जहा स्थित है	बाढ़ शरणालय की स्थिति
1	पेडारी तप्पा बुढढी	ठीक है

## तहसील-डुमरियागंज

क्र०सं०	बाढ़ शरणालय जहा स्थित है	बाढ़ शरणालय की स्थिति
1	डुमरियागंज	पीपुल्स इ०कालेज डुमरियागंज
2	सिरसिया	जू०हा०स्कू०सिरसिया
3	चौखडा	ललित इ०का० चौखडा
4	गिरधरपुर	श्रीराम जानकी इ०का० गिरधरपुर

नोट:-तहसील-डुमरियागंज, में कोई बाढ़ शरणालय भवन नहीं है। बाढ़ शरणालय हेतु उपरोक्त स्थान चयनित किया गया है।

## 13.7 पत्रकार बन्धु सिद्धार्थनगर-

क्र०सं०	नाम पत्रकार (इलेक्ट्रानिक/पिंट)	कार्यालय दूरभाष	मोबाइल नं०
1	श्री सत्य प्रकाश गुप्ता, राष्ट्रीय सहारा	222088	9415193789
2	श्री नजीर मलिक, दैनिक जागरण	220910 / 222244	9415069770 / 9956033733
3	श्री रविप्रकाश पाण्डेय यूनाइटेड भारत	222206	9415069754
4	श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी, आकाशवाणी/दूरदर्शन	222370	9415193917 / 9236986033
5	श्री अनिरुद्ध पाण्डेय, हिन्दुस्तान टाइम्स	222285	-
6	श्री रमाकान्त त्रिपाठी, दैनिक जनमोर्चा	220599	9838108294
7	श्री सुनील मिश्रा, स्वतंत्र भारत	-	9415386692
8	श्री ब्रह्म प्रकाश त्रिपाठी, राष्ट्रीय स्वरूप	220042	9415163169
9	श्री अब्दुल मुईम खां जैन टी०वी०/त्रिगुट	220463	9450566100
10	श्री आशिफ इकबाल दैनिक हिन्दुस्तान	222114	9415092315
11	श्री सगुण श्रीवास्तव, जनसत्ता एक्सप्रेस	222508	9838343310
12	श्री अजय श्रीवास्तव, सहारा समय	261077	9415122993
13	श्री सुधीर श्रीवास्तव, ई०टी०वी०	-	9415879940
14	श्री सलमान अमीन, स्टार टी०वी०	220565	9415092085
15	श्री हरिद्वार द्विवेदी, दैनिक जागरण	220910	9415162889
16	श्री के०सी० शर्मा, बुद्ध संदेश	222351	9415163471
17	श्री संतोष श्रीवास्तव, दैनिक जागरण	220521	9415162887 / 9451858983
18	श्री संजीव श्रीवास्तव, दैनिक जागरण	-	9415710198
19	श्री यशोदा श्रीवास्तव, अमर उजाला	222594	9876897431
20	श्री रामदेव त्रिपाठी, सिद्धार्थनगर टाइम्स	-	-
21	श्री इकबाद अहमद, गोरखपुर मेल	-	9838703859
22	श्री मधुसूदन, अमृत प्रभात	-	9838153728
23	श्री विमल कुमार सुदर्शन टी०वी०	-	9919695921
24	श्री राम दत्त त्रिपाठी वी०वी०सी० लन्दन	-	9639012810

## 13.8 माननीय जन प्रतिनिधिगण:-

क्र०सं०	नाम एवं पदनाम	दूरभाष I कार्यालय	दूरभाष I आवास मो०नं०
1	श्री जगदम्बिका पाल, मा०सांसद दुमरियागंज	0522-4000917 (लखनऊ) 09013180217 05544-222144ए	9335283287 9415037381
2	श्री वृजभूषण तिवारी, मा० सदस्य राज्य सभा	05542-283631	9415038871
3	श्रीमती जनक नन्दनी, मा० अध्यक्ष जिला पंचायत सि०नगर	05544-221376	9415879743
4	श्री मनीष जायसवाल, सदस्य विधान परिषद	9415037137	05542-2396598
5	श्री ईश्वर चन्द्र शुक्ल, मा०विधायक नौगढ़	05544-222352 / 222332	9415242955 / 9415038925
6	श्री लाल जी यादव मा० विधायक बॉसी	05545-255207	9415193842
7	श्री माता प्रसाद पाण्डेय, मा० विधायक इटवा	05541-231850	0522-2235113 / 9415025300
8	श्री रविन्द्र प्रताप चौधरी, मा०विधायक शोहरतगढ़	05543-272222	9415038888 / 9415388787
9	श्री ताबिश खॉ, मा०विधायक खेसरहा	05545-232283 /	
10	श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी मा० सदस्य विधान परिषद,	05544-252013 / 2237626	9415000431 / 9956910425

13.9 नावों की उपलब्धता का तहसीलवार विवरण जनपद-सिद्धार्थनगर  
तहसील-नौगढ़ में उपलब्ध नावों की सूची-

क्र० सं०	नाम ग्राम जहां पर नाव उपलब्ध है	नाव मालिक का नाम तथा पिता का नाम	किस्म नाव	नाव की दशा	विशे । विवरण
1.	हथिवडताल यादव टोला	रामफल पुत्र जियावन	मझौली	ठीक है	
2.	बंगाली टोला	दशरथ पुत्र छोटू	बडी नाव	"	
3.	तिवारी	खदेरू पुत्र अपरबल	बडी नाव	"	
4.	अवधू	अवधू पुत्र अछेबर	बडी नाव	"	
5.	रामफल टो०	जय करन पुत्र घीसे	मझौली नाव	"	
6.	बन्धापार	श्याम लाल पुत्र जगदेव	मझौली नाव	"	
7.	पनिहवा	कटेसर पुत्र जसई	छोटी नाव	"	
8.	"	किशुन पुत्र भोलर	मझौली नाव	"	
9.	"	ब्रह्मानन्द पुत्र मोहर लाल	"	"	
10.	पनिहवा	पूर्णमासी पुत्र कल्लू	बडी नाव	"	
11.	भलुआ	श्री राम पुत्र राम हित	बडी नाव	"	
12.	करछुलिया ग्राण्ट	श्री राम पुत्र राम सिंह	"	"	
13.	गायघाट	अशर्फी पुत्र हरिद्वार	"	"	
14.	वैरवानानकार	भगौती प्रसाद यादव	बडी नाव	"	
15.	ताल भरौना	पुद्दन पुत्र रमई	मझौली	"	
16.	अजगरा	गोनरी पुत्र रामफेर	बडी	"	
17.	इटौवा	राम लाल पुत्र सोहन	"	"	
18.	धुसवा	राहेराम पुत्र मनोहर	"	"	
19.	रीवानानकार	रामजीत पुत्र बाढू	बडी	"	
20.	सेखुइया	राजेन्द्र पुत्र बृजलाल	मझौली	"	
21.	वैरवानानकार	केवल वास पुत्र धिराऊ	बडी	"	
22.	"	रामलगन पुत्र श्याम लाल	बडी	"	
23.	धुसवा	सहदेव पुत्र रामा आसरे	"	"	
24.	खजूरडाड	अमेरिका पुत्र शिवनरायन	बडी	"	
25.	फत्तेपुर	प्रभू पुत्र पल्लू	बडी	"	
26.	"	मोहरत पुत्र मुनेसर	बडी	"	
27.	रीवानानकार	मुन्नीलाल पुत्र विशे । र	बडी	"	
28.	"	द्वारिका पुत्र बुराई	"	"	
29.	"	बाढू पुत्र भोनू	बडी	"	
30.	मारुखर्ग खुर्द	परशुराम पुत्र हंसराज	बडी	"	
31.	पटखौली	बाबूराम पुत्र साधू	"	"	
32.	मजगवा	छेदी पुत्र कल्पनाथ	"	"	
33.	जोगिया	हंसराज पुत्र भागीरथी	"	"	
34.	पुरैना	मनोहर पुत्र अलगू	"	"	
35.	डुमरिया खुर्द	चीनक पुत्र भदई	"	"	
36.	नावुआपार	वीपत पुत्र हारे	"	"	
37.	हरनीबुजुर्ग	इस्लाम पुत्र करिगन	"	"	
38.	"	सोहन पुत्र ढोढे	"	"	
39.	"	जियाउ पुत्र बदलू	मझौली	"	
40.	"	रामवृक्ष पुत्र रसियावन	छोटी	"	
41.	"	मिलन पुत्र श्रीराम	छोटी	"	
42.	"	झीनक पुत्र मनोहर	छोटी	"	
43.	"	अम्बिका पुत्र राम चरित्तर	बडी	"	
44.	अमरिया	सन्तराम पुत्र विदेशी	छोटी	"	
45.		रामवंसल पुत्र अदालत	छोटी	"	



(114)

46.		रामनाथ पुत्र सत्तन	छोटी	"	
47.		लुल्लुर पुत्र चिन्नीलाल	"	"	
48.		मोनई पुत्र उगरी	छोटी	"	
49.		रामचन्दर पुत्र श्री	छोटी	"	
50.		विलायक पुत्र गोली	छोटी	"	
51.	कठहा	कृष्णनाथ पुत्र भवनदीन	मझौली	"	
52.	रमपुरवा	ढोढे पुत्र लाले	बडी	"	
53.	तालनटवा	उमाशंकर पुत्र प्रताप	बडी	"	
54.	"	मेढई पुत्र मनोहर	मझौली	"	
55.	"	हरीराम पुत्र अलगरजी	"	"	
56.	"	लालमन पुत्र दुलारे	"	"	
57.	नौखनिया	श्यामकरन पुत्र लोचन	"	"	
58.	"	माधव पुत्र मलेसर	"	"	
59.	लाउखाई	किशोर पुत्र	मझौली	"	
60.	उजिगरा	श्रीराम पुत्र इन्नर	छोटी	"	
61.	धौरी कुइया	विक्रम पुत्र रामधन	बडी	"	
62.	"	सुखारी पुत्र रामधन	"	"	
63.	"	साधू पुत्र दरवाती	"	"	
64.	"	बृजलाल पुत्र विशम्भर	"	"	
65.	"	शेषराम पुत्र रूदल	"	"	
66.	कान्हकुसुम	दिनेश पुत्र झीनक	"	"	
67.	अहडी	हरी पुत्र महादेव	"	"	
68.	भुताहिया	रामवृक्ष पुत्र राम आसरे	"	"	
69.	चिल्लेदार ग्राण्ट	सुखलाल पुत्र श्याम सुन्दर	"	"	
70.	मदुआ	श्याम पुत्र मोनू	"	"	
71.	परसा शुकूरुल्लाह	दुक्खी पुत्र सोमई	बडी	"	
72.	टडिया बाजार	प्रभू पुत्र पल्लू	बडी	"	
73.	सेखुई	रामलखन पुत्र त्रिभवन	मझौली	"	
74.	"	रामलखन पुत्र त्रिभवन	"	"	
75.	ताल बगहिया	छोटेला पुत्र बहादुर	छोटी	"	
76.	अजिगरा	इन्दर पुत्र राजबली	छोटी	"	
77.	बडहरा	राममिलन पुत्र सिरपत	"	"	
78.	देवलहाग्राण्ट	नन्द किशोर पुत्र विनेरी	बडी	"	
79.	"	चन्द्रभान	छोटी	"	
80.	परती बाजार	राम नरेश पुत्र वासदेव	मझौली	"	
81.	कटहा	पल्लू पुत्र अपरबल	छोटी	"	
82.	कटहा	हरिहर पुत्र सुक्खू	छोटी	"	
83.	गायघाट	भीखी पुत्र सेतू	बडी	"	
84.	जोगिया	राज कुमार पुत्र धनपत	"	"	
85.	लखनापार	चन्द्रराम पुत्र अधारे	"	"	
86.	बडहरा	श्रीधर पुत्र तीरथ	मझौली	"	
87.	महदेवा बुजुर्ग	अम्बिका पुत्र शिवनरायन	छोटी	"	

## तहसील-बाँसी में उपलब्ध नावों की सूची-

क्र० सं०	नाम ग्राम जहां पर नाव उपलब्ध है	नाव मालिक का नाम तथा पिता का नाम	किस्म नाव	नाव की दशा	विशेष विवरण
1.	भगौतापुर	ग्राम समाज	मझौली	ठीक है	
2.	"	सिद्ध पुत्र औतार	"	"	
3.	बकूआंव	छबिलाल पुत्र सतनरायन	छोटी	"	
4.	अजमागढ़	राम मिलन पुत्र शोहरत	"	"	
5.	"	श्याम बिहारी पुत्र सहदेव	"	"	
6.	"	मुरलीधर पुत्र भेदर	छोटी	"	
7.	"	बनारसी पुत्र पुल्ली	मझौली	"	
8.	"	राम जीत पुत्र सहदेव	छोटी	"	
9.	बडहरघाट	टांसे पुत्र मुन्नीलाल	"	"	
10.	"	संतराम पुत्र भागीरथी	"	"	
11.	"	रामकृपाल पुत्र जगनरायन	"	"	
12.	"	रामदास पुत्र संतबली	"	"	
13.	"	भगवानदास पुत्र संतबली	"	"	
14.	"	सुखराज पुत्र गेदर	"	"	
15.	"	बालकेश्वर पुत्र चन्दर	"	"	
16.	"	राम चरन पुत्र श्रीराम	"	"	
17.	"	अदालत पुत्र पटेशरी	"	"	
18.	"	खदेरू पुत्र चैतू	"	"	
19.	"	चन्द्रिका पुत्र सीताराम	"	"	
20.	"	परमहंस पुत्र जगनरायन	"	"	
21.	"	गौरी पुत्र बदरी	"	"	
22.	"	रामकेश पुत्र मेहीलाल	"	"	
23.	"	राजेन्द्र पुत्र रामप्रसाद	"	"	
24.	"	शिवपूजन पुत्र लौटू	"	"	
25.	"	जंगी पुत्र हरौराम	"	"	
26.	"	बेचन पुत्र मुनेसर	"	"	
27.	"	राममिलन पुत्र मुनेसर	"	"	
28.	"	भेलर पुत्र पल्लू	"	"	
29.	"	टोटक पुत्र जोखू	"	"	
30.	"	रामजीत पुत्र फागू	"	"	
31.	"	दया राम पुत्र गेदर	"	"	
32.	"	मेही पुत्र शोभा	"	"	
33.	"	सुखराम पुत्र शोभा	"	"	
34.	"	अर्जुन पुत्र महाबल	"	"	
35.	"	राम अचल पुत्र जयश्री	"	"	
36.	"	महेश पुत्र विश्राम	"	"	
37.	"	विश्राम पुत्र बुद्धू	"	"	
38.	सुकरौली	कल्पनाथ पुत्र फागू	"	"	
39.	"	बाबूराम पुत्र मिठाई	"	"	
40.	"	कम्मल पुत्र मिठाई	"	"	
41.	"	बाबूलाल पुत्र बेचन	"	"	
42.	"	नन्दे पुत्र बुद्धू	"	"	
43.	"	बृजे पुत्र बुद्धू	"	"	
44.	निहलवा	चैतू पुत्र राधे श्याम	"	"	
45.	चेतिया	संते पुत्र बडका	"	"	
46.	(टोला राजडीह)	मुन्नीलाल पुत्र बांके	"	"	
47.	"	बलराम पुत्र खेलावन	"	"	
48.	"	निरहू पुत्र बुद्धू	"	"	
49.	"	बनवारी पुत्र रामबली	"	"	

## (116)

50.	..	राधेश्याम पुत्र रामजश	..	..	
51.	डुमरिया लाला	तुफानी पुत्र दशरथ		..	
52.	..	चन्द्रिका पुत्र दशरथ		..	
53.	..	तुलसी पुत्र विरजे		..	
54.	..	भागीरथी पुत्र नरायन		..	
55.	तीवर	किशोर पुत्र मिट्टू	छोटी	..	
56.	..	बसन्त पुत्र गनेश	..	..	
57.	..	दिलीप पुत्र संतराम	..	..	
58.	..	राम वृक्ष पुत्र राम धनी	..	..	
59.	..	मानिक चन्द पुत्र दूधनाथ	..	..	
60.	..	रामराज पुत्र बृज लाल	मझोली	..	
61.	..	चन्द्रिका पुत्र दशरथ	..	..	
62.	..	राम औतार पुत्र विरजा	छोटी	..	
63.	..	तुलसी पुत्र विरजा	..	..	
64.	..	राधे याम पुत्र राजकुमार	..	..	
65.	..	चन्ने पुत्र राम लाल	..	..	
66.	..	हरी राम पुत्र गजराज	..	..	
67.	रेहरा	सरजू पुत्र नन्दे	..	..	
68.	बसठा	चिखुरी पुत्र टहल	..	..	
69.	..	विश्राम पुत्र भगगन	..	..	
70.	..	संतन पुत्र विसई	..	..	
71.	..	चिखुरी पुत्र हरिद्वार	..	..	
72.	भटौली	ग्राम समाज		..	
73.	महुआरी	रामदेव पुत्र खेलावन	बड़ी	..	
74.	..	हरी पुत्र महादेव	..	..	
75.	किशुनपुरवा	शिवनाथ पुत्र राम मिलन	छोटी	..	
76.	कटही	महेन्द्र पुत्र श्रीधर	बड़ी	..	
77.	हाटा खास	चन्द्रिका पुत्र राम लखन	..	..	
78.	हयातनगर	गनपत पुत्र फौजी	छोटी	..	
79.	तेलौरा	छबू पुत्र चिन्नी लाल	बड़ी	..	
80.	बहोरवाघाट	किर पुत्र दुलारे	..	..	
81.	..	पियारे पुत्र तुलसी	..	..	

## व्यक्तिगत नावों की सूची तहसील-डुमरियागंज, जनपद-सिद्धार्थनगर

क्र० सं०	नाम ग्राम जहां पर नाव उपलब्ध है	नाव मालिक का नाम तथा पिता का नाम	किस्म नाव	नाव की दशा	विशेष विवरण
1.	मझारी मोहाल मय कोहल	मनीराम पुत्र सरजू	बड़ी नाव	ठीक है	
2.	"	गनेशी पुत्र ढोढे	"	"	
3.	राजपुर	विजय पाल पुत्र सत्तन	छोटी	"	
4.	राजपुर	नेतू पुत्र चिनकू	बड़ी	"	
5.	"	जंग बहादुर पुत्र मंगरे	मझौली	"	
6.	"	जवाहर पुत्र लौटू	"	"	
7.	असनहरा माफी	मंगरे पुत्र गया प्रसाद	बड़ी	"	
8.	परसोहिया सदानन्द	रामदेव पुत्र खेलावन	मझौली	"	
9.	कोहलगोद कोट	कल्लू पुत्र बुधई	छोटी	"	
10.	सुल्तापुर उर्फ चन्दन जोत	मुनीराम पुत्र होरीलाल	बड़ी	"	
11.	लेवडी	बाबूराम पुत्र भगौती	छोटी	"	
12.	"	भगनू पुत्र चिनकन	"	"	
13.	"	मूसे पुत्र मंगरे	"	"	
14.	"	कोकै पुत्र गौरी	"	"	
15.	भडरिया	पेशकार पुत्र रामलखन	"	"	
16.	"	मेवालाल पुत्र झिनकन	मझौली	"	
17.	उजैनिया	मजनू पुत्र आझाराम	छोटी	"	
18.	बेतनार मु०	प्रझाराम पुत्र रामअचल	बड़ी	"	
19.	विशुनपुर औरंगाबाद	भीमसेन पुत्र मुन्ने	मझौली	"	
20.	"	बच्चाराम पुत्र द्वारिका	"	"	
21.	"	मुराली पुत्र जगराम	"	"	
22.	मुबारकपुर	रहमत अली पुत्र बुधई	बड़ी	"	
23.	मल्हवार	वंशराज पुत्र लहराई	बड़ी	"	
24.	"	कुमारे पुत्र भीखी	"	"	
25.	"	लौटन पुत्र सोमन	"	"	
26.	भरवठिया मु०	र अली पुत्र अल्लादीन	"	"	
27.	भरवठिया ए०	मशेर पुत्र टीहुल	मझौली	"	
28.	बीरपुर ए०	गंगाराम पुत्र बनवारी	बड़ी	"	
29.	"	सुक्खू पुत्र बनवारी	"	"	
30.	बीरपुर ए०	झीने पुत्र गंगाराम	मझौली	"	
31.	"	झिनकू पुत्र गंगाराम	"	"	
32.	पिकौरा	कपिल पुत्र बदलू	"	"	
33.	"	चुल्हई पुत्र कुंजी	"	"	
34.	"	भोला पुत्र लक्काड़	"	"	
35.	"	भोला पुत्र श्यामलाल	"	"	
36.	"	शिवप्रसाद पुत्र वंशू	छोटी	"	
37.	"	सुन्दर पुत्र सूरजदीन	मझौली	"	
38.	"	सुखराम पुत्र सोमन	छोटी	"	
39.	धोबहा अमरेडीह	अन्जनीदेवी पत्नी मोल्हू	बड़ी	"	
40.	बगहवा	गनेश पुत्र औतार	"	"	

(118)

## तहसील-इटवा में उपलब्ध नांवों की सूची

क्र० सं०	नाम ग्राम जहां पर नाव उपलब्ध है	नाव मालिक का नाम तथा पिता का नाम	किस्म नाव	नाव की दशा	विशेष विवरण
1.	सिगारजोत	श्री नरायन पुत्र संतोशी	मझौली	ठीक है	
2.	"	गूठे पुत्र सोमई	"	"	
3.	परसोहन	नरदाहे पुत्र रामजस	"	"	
4.	"	दुर्विजय पुत्र सोमई	"	"	
5.	छगडिहवा	रघु पुत्र अवतार	"	"	
6.	"	भागीरथी पुत्र रामलाल	"	"	
7.	सोहना	जैराम पुत्र बम्मा	छोटी	"	
8.	"	नवल पुत्र अवतार	"	"	
9.	"	बहादुर पुत्र बाबूराम	"	"	
10.	"	कल्लू पुत्र बाबूराम	"	"	
11.	"	उदयराज पुत्र भगोले	"	"	
12.	"	राममिलन पुत्र सीताराम	"	"	
13.	"	शोहबत पुत्र तालुक	"	"	
14.	"	दिलीप पुत्र आसरे	"	"	
15.	"	मोहन पुत्र मंगरे	"	"	
16.	"	रामछबीले पुत्र विरजा	"	"	
17.	"	छोटकन पुत्र भूलन	"	"	
18.	"	ओम प्रकाश पुत्र गोमती	"	"	
19.	खखरा	बाबूराम पुत्र अवतार	"	"	
20.	कठेला ाकी	अभिराज पुत्र सतुन	मझौली	"	
21.	चेचराफ खुर्द	लक्ष्मन सिंह पुत्र नरसिंह	"	"	
22.	गौरडीह	भगू पुत्र सुख्खा	"	"	
23.	सोनौलीनानकार	चैतू पुत्र कल्पनाथ	"	"	
24.	"	अगनू पुत्र समुझ	"	"	
25.	"	मोल्हू पुत्र रघू	"	"	
26.	"	रामबरन पुत्र कल्पनाथ	"	"	
27.	"	मिट्टू पुत्र नरेस	"	"	
28.	"	बंशी पुत्र छांगुर	"	"	
29.	औरहवा	बासदेव पुत्र टीमल	"	"	
30.	"	पांचू पुत्र रामनाथ	"	"	
31.	"	बासी पुत्र छांगुर	"	"	
32.	मिठौवा	राम लौटन पुत्र ललई	"	"	
33.	"	सोमई पुत्र दूबर	"	"	
34.	खैरा	भागीरथी पुत्र संतू	"	"	
35.	"	संतू पुत्र गगई	"	"	
36.	"	भदई पुत्र राजकुमार	"	"	
37.	"	प्रभू पुत्र राजकुमार	"	"	
38.	"	कम्मल पुत्र परदेशी	"	"	
39.	"	रसियावन पुत्र तीरथ	"	"	
40.	जौकईला	चिन्नी पुत्र मोती राम	मझौली	"	
41.	"	भालू पुत्र नरायन	छोटी	"	
42.	मनकर	बेचन पुत्र अलगू	"	"	
43.	"	वंशराज पुत्र गेंदा	"	"	
44.	"	रामलाल पुत्र गेंदा	"	"	
45.	"	अवधराम पुत्र नगई	"	"	
46.	"	हरदवार पुत्र अलगू	"	"	
47.	मनकरी	प्रसाद पुत्र गुददुन	"	"	
48.	"	सियाराम पुत्र गुददुन	"	"	
49.	"	उदयराज पुत्र गगई	"	"	

## उपलब्ध नांवो की सूची तहसील-शोहरतगढ़

क्र० सं०	नाम ग्राम जहां पर नाव उपलब्ध है	नाव मालिक का नाम तथा पिता का नाम	किस्म नाव	नाव की दशा	विशे ा विवरण
1.	भैसहवा	धल्लू पुत्र धौताल	मझौली	ठीक है	
2.	बैरिहवा	मिट्टू पुत्र नरेश	"	"	
3.	मुर्गहवा	प्यारे पुत्र तुलसी	"	"	
4.	भैसहवा	गया पुत्र बुधई	"		
5.	महरथा	रामलाल पुत्र रामलगन	"		
6.	खेतवल मिश्र	बुधिराम पुत्र सरजू	"		
7.	राजाकोहा उर्फ प्रतापपुर	छांगुर पुत्र आसरे	बडी		
8.	नदवलिया	माझी पुत्र लखपत	"		
9.	बैदौला	कफई पुत्र गौरीशंकर	"		
10.	खैरीशीतलप्रसाद	सिद्धू पुत्र बाबूराम	मझौली		
11.	मटियार उर्फ भुतहा	अब्बास पुत्र सुकरू	"		
12.	टडिया	निरहू पुत्र वासदेव	"		
13.	बैजंथाटोला लमुईया	मंगरे पुत्र दुलारे	"		
14.	तौलिहवा	जैकरन पुत्र नन्दे	बडी		

(120)

भाग-14

संलग्नक संख्या-1

दिनांक:.....तक बाढ़ से हुई क्षति एवं सहाय वितरण की स्थिति

क. वर्तमान मौसम का कुल औसत वर्षापात:

ख. मासिक वर्षापात:

ग. बाढ़/प्रतिवेदन के दिन का वर्षापात:

1	प्रभावित जिला का नाम	सिद्धार्थनगर
2	क. कुल पूर्ण प्रभावित विकास खण्डों की संख्या ख. कुल आंशिक प्रभावित विकास खण्डों की संख्या ग. कुल प्रभावित विकास खण्डों की संख्या घ. कुल प्रभावित विकास खण्डों के नाम	
3	क. कुल पूर्णप्रभावित पंचायतों की संख्या ख. कुल आंशिक प्रभावित पंचायतों की संख्या ग. कुल प्रभावित गांवों की संख्या	
4	क. कुल पूर्णप्रभावित गांवों की संख्या ख. कुल आंशिक प्रभावित पंचायतों की संख्या ग. कुल प्रभावित पंचायतों की संख्या	
5	क. कुल प्रभावित जनसंख्या (लाख में) कुल प्रभावित पशु (लाख में) 1. कृषि योग्य 2. गैर कृषि योग्य 3. कुल प्रभावित क्षेत्र 4. फसल क्षेत्र	
6	फसल क्षति का अनुमानित मूल्य (लाख रू0 में)	
7	क्षतिग्रस्त भवनों की संख्या	
8	क्षतिग्रस्त मकानों की अनुमानित मूल्य (लाख रू0 में)	
9	सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति का अनुमानित मूल्य (लाख रू0 में)	
10	जीवन की क्षति संख्या में 1. मनुष्य 2. पशु	
11	1. कितने गांव पानी से घिरे हैं। 2. संरक्षा प्रदान परिवारों की संख्या 3. खोले गये शिविरों की संख्या 4. शिविरों में रखे गये प्रभावित आबादी 5. सड़क, रेल मार्ग तथा छत पर शरण लेने वालों की संख्या	
12	चलाये जा रहे नावें	सैनिक सरकारी निजी योग
13	1. उपलब्ध खाद्यान्न (क्विंटल में) 2. कटाव के कारण विस्थापितों की संख्या	
14	खोले गये केन्द्र सहायता संख्या में स्वास्थ्य पशु सहायता	

(121)

15	वितरित खाद्य सामग्री (क्विंटन में) 1. गेहूँ 2. चना 3. नमक 4. तैयार भोजन 5. सैनिक नावें द्वारा वितरित पैकेज 6. अन्य साधन से वितरित पैकेट वितरित पैकेट का योग्य 7. हेलीकॉप्टर द्वारा पहुंचाये गये खाद्यान्न, पैकेट, दवाईयाँ, इत्यादि (में टन में)	
16.	1. वितरित नकद राशि (लाख रू0 में) 2. चना, नमक के लिए वितरित राशि 3. पशुचारा (लाख रू0 में)	
17	वितरित अन्य सामग्रियाँ 1. दियासलाई (संख्या में) 2. मोमबत्ती (संख्या में) 3. किरासन तेल (लीटर में) 4. पोलिथीन शीट (मीटर में) 5. त्रिपाल ( मीटर में)	

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रतिवेदन में अंकित आँकड़े पूर्णतः सही हैं।

जिलाधिकारी  
सिद्धार्थनगर।

दिनांक.....

ज्ञापांक: / आपदा सिद्धार्थनगर।

प्रतिलिपि:—सचिव एवं राहत आयुक्त आपदा प्रबन्धन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ एवं आयुक्त बस्ती मण्डल बस्ती को सूचनार्थ प्रेषित।

जिलाधिकारी  
सिद्धार्थनगर।



(122)

संलग्न संख्या-2

आपदा राहत निधि एवं राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि से सहायता हेतु वर्ष 2005-2010 तक के लिए संशोधित मदों की सूची तथा इनकी मानक दरें

(एम0एच0ए0 पत्र संख्या-32-34/2007-एन0डी0एम0-आई दिनांक 27 जून 2007)

क्र0सं0	मद	सहायता की मानक दरें
		अहैतुक सहायता
1.	(अ) मृतकों के परिवार को देय अनुग्रह सहायता रू0 1.00 लाख/पति मृतक	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत इस आशय का मृत्यु प्रमाण-पत्र देना अनिवार्य होगा कि मृत्यु का कारण, वित्त मंत्रालय के सी0आर0एफ0/एन0सी0सी0 एफ स्कीम में अधिसूचित, प्राकृतिक आपदा द्वारा है।</li> <li>❖ अधिसूचित आपदा के उपरान्त राहत कार्य अथवा आपदा पूर्व तैयारी यथा माक ड्रिल आदि में कोई सरकारी सेवक/राहत कर्मी की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को देय अनुग्रह सहायता रू0 1.00 लाख/प्रति मृतक देय होगी।</li> <li>❖ यदि किसी भारतीय नागरिक की विदेश में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के अन्तर्गत मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस योजना के अन्तर्गत राहत सहायता अनुमन्य नहीं होगी।</li> <li>❖ इसी प्रकार यदि कोई विदेशी नागरिक की भारत भूमि पर अधिसूचित प्राकृतिक आपदा से मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को इस योजना के अन्तर्गत राहत सहायत अनुमन्य नहीं होगी।</li> </ul>
	(ब) किसी अंग अथवा आंखों के बेकार हो जाने पर देय अनुग्रह सहायता	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. रू0 35000/-प्रति व्यक्ति (यदि सरकारी चिकित्सक अथवा स्वीकृत चिकित्सक पैनल द्वारा प्रमाणित शारीरिक असमर्थता 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत के मध्य हो)</li> <li>2. रू0 50000/- प्रति व्यक्ति (यदि सरकारी चिकित्सक अथवा सरकार द्वारा स्वीकृत चिकित्सक पैनल द्वारा प्रमाणित शारीरिक असमर्थता 75 प्रतिशत से अधिक हो।)</li> </ol>
	(स) गंभीर चोट जिसके कारण अस्पताल में भर्ती होना पड़े।	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू0 7500/-प्रति व्यक्ति (गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक अस्पताल में रुकने की आवश्यकता हो।)</li> <li>❖ रू0 2500/- प्रति व्यक्ति (गंभीर चोट जिसके कारण एक सप्ताह से कम समय तक अस्पताल में रुकने की आवश्यकता हो।)</li> </ul>
	(द) वृद्ध, अक्षम तथा निराश्रित एवं बच्चों को सहायता	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू0 20/-प्रति व्यस्क, और रू0 15/-प्रति अवयस्क प्रति दिवस।</li> </ul>
	(क) जिन परिवारों के घर प्राकृतिक आपदा के कारण बह गये हो/पूर्णतया छतिग्रस्त हो गये हो/एक सप्ताह से अधिक समय से गम्भीर रूप से जलमग्न हो गये हो उनके लिए कपड़े और वर्तन/घरेलू सामग्री हेतु प्रति परिवार सहायता।	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू0 1,000/-प्रति परिवार कपड़ों के अनुसान पर और रू0 1,000/- प्रति परिवार वर्तन/परिवार हेतु घरेलू सामग्री के नष्ट होने पर।</li> </ul>
	(ख) आपदा के बाद तात्कालिक जीवन निर्वाह हेतु जरूरतमंद परिवारों के लिए अहैतुक सहायता-यह सहायता केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाएगी जिनके पास संचित खाद्य सामग्री उपलब्ध न हो, या उनके पास संचित खाद्य सामग्री आपदा के फलस्वरूप नष्ट हो गयी हो, उनके पास तात्कालिक सहायता के अन्य श्रोत न हो।	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू0 20/-प्रति वयस्क, और</li> <li>❖ रू0 15/-प्रति अवस्यक प्रति दिवस</li> </ul>

अहैतुक सहायता प्रदान करने हेतु समय सीमा		
	(1) सूखा और आक्रमण (केवल टिड्डी और कुतरने वाले जीव) के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा।	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 15 दिवस से अनधिक समय के लिए।</li> <li>❖ उपरोक्त अधिसूचित, गम्भीर प्रकृति की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के अनुमोदन से सी0आर0एफ0 की मानक दरों के अन्तर्गत और एन0सी0सी0एफ0 अन्तर्गत सहायता के लिए केन्द्रीय दल के आकलन से 30 दिस तक राहत सहायता प्रदान की जा सकती है।</li> </ul>
	(2) सूखा/कीट आक्रमण (केवल टिड्डी और कुतरने वाले जीव)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ अधिकतम 60 दिवस तक राहत सहायता एवं गम्भीर सूखा/कीट आक्रमण की स्थिति में 90 दिवस तक।</li> <li>❖ यदि सूखा/कीट आक्रमण की स्थिति 90 दिवस से अधिक बने रहने की दशा में राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति स्थिति का विस्तृत आकलन कर सी0आर0एफ0 से राहत हेतु मौके पर प्रवक्ता वास्तविक स्थिति के मासिक आधार पर निर्धारण कर सकती है।</li> </ul>
2.	अतिरिक्त पुष्ताहार	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ आर0सी0सी0एस0 के मानके के अनुसार रू0 2.00 प्र0दि0 प्रति व्यक्ति।</li> <li>❖ राहत के लिए समय सीमा</li> <li>❖ सूखा और आक्रमण</li> <li>❖ (2) सूखा/कीट आक्रमण (केवल टिड्डी और कुतरने वाले जीव)</li> <li>❖ अधिकतम 60 दिवस तक राहत सहायता एवं गम्भीर सूखा/कीट आक्रमण की स्थिति में 90 दिवस तक।</li> <li>❖ यदि सूखा/कीट आक्रमण की दशा गम्भीर स्थिति रहने की दशा में सी0आर0एफ0 हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति के अनुमोदन से राहत 90 दिवस के अनधिक समय तक दिया जा सकता है और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल के आकलन के अनुसार दिया जाय।</li> </ul>
3.	लघु तथा सीमान्त कृषकों की सहायता हेतु	
	क) कृषि प्रयोज्य भूमि की डिसिल्टिंग	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू0 6000/-प्रति हेक्टेयर (जहां पर, जमाँ रेत/गाद की मोटाई 03 इन्च से अधिक हो। इसे राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रमाणीकृत किया गया हो।)</li> </ul>
	ख) पहाडी क्षेत्रों की कृषि भूमि से मलवा हटाने हेतु	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू0 6000/-प्रति हेक्टेयर</li> </ul>
	ग) डिसिल्टिंग/पुनर्स्थापना/मत्स्य फार्म मरम्मत।	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू0 6000/-प्रति हे0 (इस शर्त के साथ की पीडित व्यक्ति ने कोई अन्य सहायता/अनुदान का उपभोग न किया हो/किसी सरकारी योजना में अन्य सहायता/अनुदान हेतु पात्र न हो।)</li> </ul>
	घ) भूस्खलन, हिमस्खलन, नदी के प्रवाह बदलने से भूमि के अधिकांश भूभाग का नष्ट हो जाना।	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू0 15000/- प्रति हे0 (यह सहायता उस लघु तथा सीमान्त कृषकों को उनकी नष्ट हुयी भूमि के सापेक्ष अनुमन्य होगी जो राजस्व अभिलेखों में भूमि के विधिक भूस्वामी हों)</li> </ul>
	च) कृषि निवेश अनुदान जहां पर फसल का नुकसान 50 प्रतिशत या इससे अधिक हुआ हो।	
	(1) कृषि फसलों, बागवानी, फसलो, बागवानी फसलों, वार्षिक वृक्षारोपण फसलों के लिए।	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू0 2000/-प्रति हे0 वर्षा सिंचित क्षेत्र में।</li> <li>❖ रू0 4000/- प्रति हे0 सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में।</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ (क) बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगी।</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ (ख) लघु किसानों को न्यूनतम भूभाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि न्यूनतम रू0 250/- होगी।</li> </ul>

(124)		
	(2) बारहमासी फसलें	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ₹ 6000/- प्रति हे० सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए।</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ (क) बिना बाये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगी।</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ (ख) लघु किसानों को न्यूनतम भू-भाग पर भी सहायता के रूप में दी जाने वाली धनराशि ₹ 500/- से कम नहीं होगी।</li> </ul>
4.	लघु तथा सीमान्त कृषकों से भिन्न कृषकों को कृषि निवेश अनुदान	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ 50 प्रतिशत अथवा इससे अधिक फसल नुकसान पर 01 हे० प्रति कृषक तथा 02 हे० यदि कृषक लगातार दूसरे वर्ष (वर्षानुवर्ष) गंभीर प्राकृतिक आपदा की स्थिति में (कृषक की भूमि जोत बड़ी होने की दशा में भी) निम्न दरों के अनुसार सहायता दी जायेगी।</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ₹ 2000/- प्रति हे० वर्षा सिंचित क्षेत्र में।</li> <li>❖ ₹ 4000/- प्रति हे० सुनिश्चित सिंचित क्षेत्र में।</li> <li>❖ ₹ 6000/- प्रति हे० सभी प्रकार की बारहमासी फसलों के लिए। बिना बोये हुए क्षेत्र में अथवा परती भूमि में कृषि निवेश अनुदान अनुमन्य नहीं होगा।</li> </ul>
5.	लघु तथा सीमान्त रेशम उत्पादक कृषकों के लिए सहायता	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ ₹ 2000/- प्रति हे० इरी, मलबरी, और टसर के लिए।</li> <li>❖ ₹ 2500/- प्रति हे० हेक्टेयर मूगा के लिए।</li> </ul>
6.	रोजगार सृजन (रोजगार सृजन की विभिन्न योजनाओं/ परियोजनाओं यथा एन०आर०इ०जी०पी०, ए०सी०जी०आर०वाई० आदि से रोजगार सृजन हेतु उपलब्ध धनराशि के अतिरिक्त आवश्यकताओं की प्रतिपूर्ति हेतु)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ अकुशल श्रमिक हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी दर के आधार दैनिक मजदूरी।</li> <li>❖ राज्य में खाद्यान्न की उपलब्धता के अनुसार आपदा राहत निधि से देय अंशदान की सीमा 08 किलो ग्राम गेहूँ या 05 किलोग्राम चावल प्रति मानव दिवस होगी। खाद्यान्न के मूल्य का आकलन "आर्थिक मूल्य" के आधार पर किया जायेगा।</li> <li>❖ न्यूनतम मजदूरी का अवशेष भाग नगद के रूप में दिया जायेगा, न्यूनतम मजदूरी के 25 प्रतिशत के कम नहीं होगी।</li> <li>❖ उपरोक्त सहायता माह में 10 दिवस तक ही अनुमन्य होगी। (ऐसे क्षेत्र में जहां पर रोजगार सृजन की अन्य स्कीम प्रवृत्त न हो वहां पर माह में 15 दिवस)</li> <li>❖ राज्य सरकार के लिए आवश्यक होगा कि आवंटित खाद्यान्न का उठान तथा उपभोग आवंटन आदेश की तिथि के 03 माह की समय सीमा के अन्दर कर लिया जाय। समय सीमा की बढोत्तरी अनुमन्य नहीं होगी।</li> <li>❖ प्रभावित क्षेत्र में गुणवत्ता के आधार पर आवश्यकताओं का आकलन कर ग्रामीण परिवार के इच्छुक एक व्यक्ति को कार्य प्रदान किया जायेगा।</li> <li>❖ अन्य निर्देश जैसा कि सी०आर०ए०फ० के सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करेगी और एन०सी०सी०ए०फ० से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।</li> </ul>
7.	पशुपालन लघु और सीमान्त कृषकों/खेतिहर मजदूरों को सहायता। (1) दुधारू, अदुधारू, भारवाहक पशु की आपूर्ति दुधारू पशु	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ भैस/गाय/याक आदि ₹ 10000/- की दर से।</li> <li>❖ भेड़/बकरी ₹ 1000/- की दर से दुधारू पशुओं के अतिरिक्त पशु।</li> <li>❖ ऊट/घोडा/बैल आदि ₹ 10000/- की दर से।</li> <li>❖ देय सहायता निम्न अनुबन्धों के अधीन होगी—यह सहायता आर्थिक रूप से उपयोगी पशुओं तक ही समिति होगी। सहायता की परिसीमा 01 बड़े दुधारू पशु या 4 छोटे दुधारू पशु अथवा एक बड़े अदुधारू या दो छोटे अदुधारू पशु प्रति घरेलू इकाई के दर से देय होगी (वास्तविक क्षति चाहे जितनी भी अधिक हो उपरोक्त मानक के अनुसार ही सहायता अनुमन्य होगी)। ( पशुधन क्षति, राज्य सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित होनी चाहिए।)</li> </ul>

(125)		
		<p><b>कुक्कुट पालन</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ कुक्कुट पालन रू0 30/-प्रति पक्षी की दर से वास्तविक क्षति के बावजूद देय सहायता की परिसीमा रू0 300/-प्रति लाभान्वित घरेलू इकाई के दर से देय होगी। कुक्कुट की क्षति अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के फलस्वरूप हुई हो।</li> <li>❖ नोट:-उक्त मदों में राहत, किसी अन्य सकारारी योजना में सहायता के उपलब्ध होने पर अनुमन्य नहीं होगी।</li> <li>❖ उदाहरणार्थ एवियन एनफ्लेउंजा या ऐसी अन्य कोई बीमारी जिसमें पशुपालन विभाग के पास सहायता की विशि ट योजना प्रवृत्त है।</li> </ul>
	(2) पशु कैम्पों में चारा/खाने का प्राविधान	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ बड़े पशु-रू0 20/-प्रति दिवस।</li> <li>❖ छोटे पशु रू0 10/- प्रति दिवस।</li> </ul> <p>सहायता प्रदान करने का समयन्तराल (1) सूखे को छोडकर अन्य अधिसूचित आपदा में।</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ अधिकतम 15 दिवस तक। (2) सूखा</li> <li>❖ अधिकतम 60 दिवस किन्तु गम्भीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक।</li> <li>❖ यदि गम्भीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस से अधिक बनी रहती है तो राज्य स्तरीय आपदा राहत स्थिति का विस्तृत आकलन कर राहत हेतु अतिरिक्त समय का मासिक आधार पर मौके पर प्रवृत्त वास्तविक स्थिति/वर्षा के आधार पर निर्धारण कर सकती है।</li> </ul>
	(3) पशु कैम्पों में पानी की आपूर्ति	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति एवं एन0सी0सी0एफ0 के सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।</li> </ul> <p>सहायता प्रदान करने का समयन्तराल</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>❖ सूखे को छोडकर अन्य अधिसूचित आपदा में</li> <li>❖ अधिकतम 15 दिवस तक।</li> <li>❖ सूखा</li> <li>❖ अधिकतम 60 दिवस किन्तु गम्भीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक।</li> <li>❖ यदि गम्भीर विभीषिका वाले सूखे की स्थिति 90 दिवस से अधिक बनी रहती है तो राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति स्थिति का विस्तृत आकलन कर सी0आर0एफ0 से राहत हेतु अतिरिक्त समय का मासिक आधार पर मौके पर प्रवृत्त वास्तविक स्थिति/वर्षा के आधार पर निर्धारण कर सकती है।</li> </ul>
	(4) दवाइयों और वैक्सिन पर अतिरिक्त व्यय (आपदा सम्बन्धी आवश्यकतओं की प्रतिपूर्ति हेतु)	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 के सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।</li> </ul>
	(5) पशु कैम्पों के बाहर चारे की व्यवस्था	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ आपदा कि सी0आर0एफ0 से सहायता चारे के मण्डल से परिवहन पर हुए अतिरिक्त व्यय के समतुल्य (आपदा के कारण बढ़ी मूल्य वृद्धि की प्रतिपूर्ति हेतु) राहत, मूल्य वृद्धि प्रत्येक स्थिति के वास्तविक मूल्यांकन के आधार पर, जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।</li> </ul>
	(6)उपयोगी पशुओं का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिगमन	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।</li> </ul>
8.	मछुवारों की सहायत (ए) क्षतिग्रस्त/नष्ट हुए-नावों जालों की मरम्मत/ पुनर्स्थापना- नाव-सकरी नाव-लट्टा-जाल	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रू02500/- (आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त सभी प्रकार के परम्परागत क्राफ्ट और जाल के मरम्मत हेतु)</li> <li>❖ रू0 7500/- (पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त सभी प्रकार के परम्परागत क्राफ्ट और जाल के मरम्मत हेतु)</li> <li>❖ क्षतिग्रस्तता की सीमा (पूर्ण अथवा आंशिक) का निर्धारण राज्य सरकार</li> </ul>

		द्वारा इस हेतु नियत सक्षम
9.	हथकरघा/हस्तशिल्प सेक्टर के दस्तकारों हेतु सहायता/अनुदान के माध्यम से दस्तकारी औजारों की मरम्मत/प्रतिपूर्ति	
	(क) परम्परागत दस्तकारी (हस्तशिल्प)	
	(1) क्षतिग्रस्त औजार/संयंत्र के बदलने के लिए	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रु0 2,000/—प्रति दस्तकार।</li> <li>❖ क्षतिग्रस्तता की सीमा (पूर्ण अथवा आंशिक) का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण/विनिश्चय द्वारा किया जायेगा।</li> </ul>
	(2) कच्चा माल/विनिर्माण माल/विनिर्माण की प्रक्रिया में उत्पाद/विनिर्मित उत्पाद	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रु0 2000/—प्रति दस्तकार।</li> <li>❖ क्षतिग्रस्तता/नुकसान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण द्वारा किया जायेगा।</li> </ul>
	(ख) हथकरघार से सम्बन्धित उपकरणों (लूम)/सहायक औजारों के मरम्मत/बदलने के लिए।	<ul style="list-style-type: none"> <li>लूम की मरम्मत के लिए</li> <li>❖ रु0 1000/—प्रतिलूम</li> <li>लूम को बदलने के लिए</li> <li>❖ रु0 2000/—प्रतिकूल</li> <li>❖ क्षतिग्रस्तता/नुकसान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण/विनिश्चय द्वारा किया जायेगा।</li> </ul>
	(2) धागे और अन्य सामग्री तथा डाई, रसायन तैयार स्टाफ के क्रय के लिए	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रु0 2000/— प्रतिलूम</li> <li>❖ क्षतिग्रस्तता/नुकसान का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा इस हेतु नियत सक्षम प्राधिकारी के प्रमाणीकरण/विनिश्चय द्वारा किया जायेगा।</li> </ul>
10.	क्षतिग्रस्त भवनों की मरम्मत/पुननिर्माण हेतु सहायता	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ क्षतिग्रस्त मकान एवं प्राधिकृत निर्माण होना चाहिए तथा राज्य सरकार के समक्ष प्राधिकारी ने इस बात का विनिश्चय किया हो।</li> <li>❖ क्षतिग्रस्तता का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा निद्रिष्ट सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा किया गया हो।</li> </ul>
	(क) पूर्णतया क्षतिग्रस्त/नष्ट मकान	
	(1) पक्का मकान	❖ रु0 35000/—प्रति मकान (संशोधित)
	(2) कच्चा मकान	❖ रु0 10000/—प्रति मकान
	(ख) अधिकांश क्षतिग्रस्त	❖
	(1) पक्का मकान	❖ रु0 25000/—प्रति मकान
	(2) कच्चा मकान	❖ रु0 10000/—प्रति मकान
	(ग) आंशिक क्षतिग्रस्त मकान—कच्चा अथवा पक्का (झोपडी के अतिरिक्त) जहां पर नुकसान 15 प्रतिशत की सीमा तक हो)	
	(घ) झोपडी क्षतिग्रस्त/नष्ट	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ रु0 2000/—प्रति झोपडी</li> <li>❖ झोपडी से आशय—फूस, मिट्टी प्लास्टिक शीट आदि से बने</li> </ul>

		अस्थाई निवास जो कच्चे मकान से भी निम्न श्रेणी के हों। जो परम्परागत रूप से राज्य अथवा जिला प्राधिकारी द्वारा चिन्हित किये गये हैं।
11.	आपाप स्थिति में नगरीय तथा ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था	❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करे और एस0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।
12.	महामारी रोकने हेतु दवाइयां, कीटनाशक तथा वी0 संक्रामक की व्यवस्था	❖ तदैव
13.	पशुओं एवं कुक्कुट में अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के उपरान्त महामारी रोकने हेतु चिकित्सा व्यवस्था	❖ तदैव
14.	प्रभावित/सम्भागीय व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने हेतु	❖ तदैव
15.	तत्कालीन सहायता और जीवन रक्षा हेतु नाव किराये पर लिए जाने हेतु	❖ तदैव ❖ अधिसूचित प्राकृतिक आपदा में आपदा में फसे हुए व्यक्तियों के बचाने हेतु आवश्यक उकपरण तथा किराये पर नाव में होने वाला वास्तविक व्यय की सीमा तक सहायता अनुमन्य होगी।
16.	प्रभावित/सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाये गये व्यक्तियों हेतु अस्थाई आवास भोजन वस्त्र दवाइयां आदि की व्यवस्था। (राहत कैम्प पर)	❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय बल आकलन करें।  ❖ वास्तविक व्यय की सीमा तक नियत समय अन्तराल तक सहायता अनुमन्य होगी। समय अवधि ❖ सूखे के अतिरिक्त प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अधिकतम 15 दिन। ❖ सूखे के अतिरिक्त गम्भीर प्रकृतित की प्राकृतिक आपदा की स्थिति में अधिकतम 30 दिन। सूखा ❖ सूखे की स्थिति में दी जाने वाली राहत सहायता 60 दिवस तक और गम्भीर प्रकृति के सूखे की स्थिति में 90 दिवस तक देय होगी। ❖ यदि गम्भीर विभीशका वाले सूखे की स्थिति 90 दिवस के अधिक बनी रहती है तो राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति स्थिति का विस्तृत आकलन कर एन0सी0सी0एफ0 से राहत हेतु अतिरिक्त समय का मासिक आधार पर मौके पर प्रवृत्त वास्तविक स्थिति/वर्षा के आधार पर निर्धारण कर सकती है।
17.	आवश्यक वस्तुओं की एयन ड्रापिंग	❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें। ❖ सहायता की सीमा, आवश्यक वस्तुओं की एयर ड्रापिंग हेतु वायुसेना/अन्य सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी द्वारा प्रस्तुत किये

		गये वास्तविक बिल तक सीमित रहेगी।
18.	निर्दिष्ट सेक्टर में क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति का मरम्मत/पुनर्निर्माण 1-सड़क एवं पुल, 2. पेय जल आपूर्ति, 3. सिंचाई, 4. विद्युत (प्रभावित क्षेत्रों में तत्काल विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु) 5. प्राथमिक स्वास्थ्य शिक्षा 6. प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र 7. पंचायत के स्वमित्व वाली सामुदायिक परिसम्पत्तियां क्षेत्र जैसे दूरसंचार और विद्युत (तत्काल विद्युत आपूर्ति के अतिरिक्त) जो अपना राजस्व अर्जित करते हैं और अपने संसाधनों से तत्कालिक मरम्मत/पुनर्निर्माण का कार्य करते हैं, सम्मिलित नहीं है।	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ तात्कालिक प्रकृति के कार्य।</li> <li>❖ तात्कालिक प्रकृति के कार्यों की सूची जिसका क्रियान्वयन किया जा सकता है संलग्नक-एक में वर्णित है। समय सीमा</li> <li>❖ तात्कालिक प्रकृति के कार्यों के क्रियान्वयन हेतु समय सीमा निम्न होगी। मैदानी भाग के लिए</li> <li>❖ सामान्य आपदा हेतु 30 दिवस।</li> <li>❖ गम्भीर आपदा हेतु 45 दिवस। पहाड़ी क्षेत्रों हेतु</li> <li>❖ सामान्य आपदा हेतु 45 दिवस।</li> <li>❖ गम्भीर आपदा हेतु 60 दिवस। आवश्यकता का आकलन</li> <li>❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 के सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आंकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।</li> </ul>
19.	क्षतिग्रस्त चिकित्सा उपकरणों को बदलना और सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य केन्द्रों की नष्ट हुई दवाइयों हेतु	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।</li> <li>❖ राहत के परिमाण की सीमा वास्तविक व्यय के समतुल्य होगी।</li> </ul>
20.	अस्थाई डिस्पेन्सरी, सचल मेडिकल टीम, एम्बुलेन्स सेवाओं (केवल पी0ओ0एल0) के संचालन पर व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ तदैव</li> <li>❖ मदों की सूची जिनका संरक्षण व्यय सामान्यता शामिल होगा-अस्थाई चिकित्सा कैम्प/अस्थाई डिस्पेन्सरी के स्थापना में व्यय एम्बुलेन्स कि किराये पर लिया जाना सचल चिकित्सा दलों हेतु एम्बुलेन्स/वाहन पर होने वाला वास्तविक पी0ओ0एल0 व्यय।</li> </ul>
21.	मलवे को हटाने में होने वाला व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।</li> <li>❖ राहत के परिणाम की सीमा वास्तविक व्यय के समतुल्य होगी।</li> <li>❖ मलवा साफ करने के व्यय में बसावट के क्षेत्रों में पत्थर, ईट, स्टील, लोहा, सम्मिलित है।</li> </ul>
22.	प्रभावित क्षेत्र में बाढ़ के पानी की निकासी	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें।</li> <li>❖ राहत के परिणाम की सीमा वास्तविक व्यय के समतुल्य होगी।</li> </ul>
23.	खोज एवं बचाव कार्यों में व्यय	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ जैसा कि सी0आर0एफ0 से सहायता हेतु राज्य स्तरीय आपदा राहत समिति आकलन करें और एन0सी0सी0एफ0 से सहायता हेतु केन्द्रीय दल आकलन करें</li> <li>❖ राहत के परिणाम की सीमा, अधिसूचित प्राकृतिक आपदा में दो हप्ते के अन्दर हुए खोज एवं बचान के कार्यों पर हुए वास्तविक व्यय के समतुल्य होगा।</li> </ul>

24.	मानव एवं पशु शवों का निस्तारण	❖ राज्य सरकार अथवा केन्द्रीय दल की रिपोर्ट के आधार पर वास्तविक आधार पर।
25.	विशेषज्ञ मल्टी डिस्प्लिनी समूल/राज्य सरकार के विभिन्न संवर्ग/सेवाओं के कार्मिकों की टीम/आपदा प्रबन्धन में लगे कार्मिक	❖ राज्य आपदा राहत समिति के आकलन के आधार पर व्यय सी0आर0एफ0 (एन0सी0सी0पु0 पर नहीं) पर भारित होगा। ❖ मद 25 तथा 26 में सम्मिलित रूप से होने वाला कुल व्यय आपदा राहत निधि के वार्षिक आवंटन के 10 फीसदी से अनधिक होगा।
26.	संचार के उकपरण को सम्मिलित करते हुए, अपरिहार्य खोज, बचान और इवैक्युएशन उकपरण की सरकारी खरीद	❖ तदैव
	नई मदें	दरें
27.	भूस्खलन, बादल का फटना और हिमस्खलन	❖ विभिन्न मदों में लिए दरें अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के समान होगी जैसा कि ऊपर वर्णित है।
28.	कीट आक्रमण (केवल टिड्डी दल एवं चूहे की समस्या)	❖ कीट आक्रमण से सफल क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में दी जाने वाली सहायत के मानक के अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा में क्षतिग्रस्त फसल में प्रभावित कृषकों को दी जाने वाली सहायता के मानक के सदृश्य होंगे। ❖ कीट नियन्त्रण में वायुयान द्वारा कीट नाशक के छिडकाव में होने वाले व्यय कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय की चालू योजनाओं के अन्तर्गत किया जायेगा, क्योंकि कीटशानक का छिडकाव कृषक की मिल्कियत के प्लाट टू प्लाट सर्वे के आधार पर न होकर विस्तृत क्षेत्र में एक साथ किया जाता है।
29.	(1) आग	❖ अग्नि के लिए वर्तमान प्राकृतिक आपदा के मानक ❖ आवासीय क्षेत्र के अग्निकाण्ड में दुर्घटनावश लगी आग से जान-माल, हाथ पैर, फसलों, सम्पत्ति आदि की क्षति/नुकसान में अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के मानकों तथा मदों के सदृश सहायता प्रदान की जायेगी। ❖ सहायता की पात्रता उपरोक्त मानकों के अनुसार राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जायेगी। ❖ जंगल में लगी आग सम्बन्धी घटनाएं कुछ सीमा तक वन तथा पर्यावरण मंत्रालय की योजना द्वारा आच्छादित की जा सकती है यथा एकीकृत वन सुरक्षायोजना जंगल में लगी आग से जान माल, हाथ पैर, फसलों सम्पत्ति आदि की क्षति/नुकसान में राहत सहायता अन्य अधिसूचित प्राकृतिक आपदा के मानकों तथा मदों में सदृश उस सीमा तक दी जा सकी है कि नुकसान, एकीकृत, वन सुरक्षा योजना से आच्छादित न हो। ❖ औद्योगिक, वाणिज्यिक स्थापनाओं में हुई अग्निकाण्ड दुर्घटना के लिए आवश्यक है कि इसे बीमा से आच्छादित किया जाये।



(130)

संलग्नक

(मद संख्या 18 हेतु)

तात्कालिक प्रकृति के कार्यों की चिन्हित सूची

1. पेय जल आपूर्ति
  - (1) हैण्ड पम्प/कूआँ/स्प्रिंग टैब चेम्बर/पब्लिक स्टैंड पोस्ट, सिस्टर्न के क्षतिग्रस्त प्लेटफार्म की मरम्मत।
  - (2) क्षतिग्रस्त स्टैंड पोस्ट की पुनर्स्थापना, क्षतिग्रस्त पाइप लेन्थ को नये पाइप से बदलने, जलभण्डार की सफाई (लीक प्रूफ बनाने हेतु)
  - (3) क्षतिग्रस्त पंपिंग मशीन, की मरम्मत ओवर हेड पानी भण्डारण की मरम्मत और पानी के पम्प की मरम्मत, पहुंचाने के रास्ते/घाट सहित।
2. मार्ग
  - (1) मार्ग में आयी दरारो और गड्ढो का भराव पानी के रास्तों हेतु पाइप का प्रयोग, किनारों की रम्ममत तथा पत्थर से भराव।
  - (2) खराब टूटे दरार वाले नालों/पुलिया (कलवर्ट) की मरम्मत।
  - (3) तात्कालिक सम्पर्क/परिवहन हेतु पानी के बहे पुलों/किनारों/तटों का डाइवर्जन द्वारा सम्पर्क प्रदान करना।
  - (4) पुल/पुल के किनारों/तटों का अस्थायी मरम्मत, क्षतिग्रस्त रेलिंग पुलों की मरम्मत, तत्काल कम्पर्क हेतु क्षतिग्रस्त मार्ग/पहुंचने के रास्ते की मरम्मत विभिन्न ारणालय।
3. सिंचाई
  - (1) क्षतिग्रस्त नहर संरचना का तात्कालिक मरम्मत, टैंक, छोटे पानी के भण्डारण में कच्चा (अर्थ) तथा पक्का (सीमेन्ट) कार्य, सीमेन्ट, सैण्ड, बैग, पत्थर, के प्रयोग के साथ।
  - (2) कमरोज क्षेत्र यथा पाइपिंग, सूक्ष्म दरारो का बांध की दीवार/तटबन्धों की मरम्मत।
  - (3) नहर/नालों की खरपतवार/भवन निर्माण सामग्री/मलवों का हटाना।
4. स्वास्थ्य  
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के क्षतिग्रस्त पहुंच मार्गों, भवनों और विद्युत सप्लाई की मरम्मत।
5. पंचायत की सामुदायिक परिसम्पत्तियां
  - अ. गांवों की आन्तरिक सम्पर्क मार्ग का मरम्मत।
  - ब. ड्रेनेज/सीवरेज से मलवे की निकासी।
  - स. आंतरिक जलापूर्ति पाइपलाइन्स की मरम्मत।
  - द. स्ट्रील लाइट की मरम्मत।
  - य. पंचायत घर, प्राथमिक विद्यालय, सामुदायिक केन्द्र, आंगनबाडी आदि की अस्थायी मरम्मत।

(131)

संलग्नक संख्या-3

कार्यवाही

आज दिनांक.....को जिला आपदा प्रबन्ध समिति की बैठक विकास भवन सभागार, सिद्धार्थनगर में सम्पन्न हुई। बैठक में जिला आपदा प्रबन्धन की चर्चा एवं समीक्षा द्वारा करके अनुमोदित किया गया।

क्र०सं०	नाम	पद	हस्ताक्षर

## INDIA DISASTER RESOURCE NETWORK

Department Agency Details (The fields mark with(\*) are mandatory)

Dept. Name / Agency Name		
Dept. Name / Agency Address		
Contact Person Name		
Contact Person Address		
Telephone Number 1		
Telephone Number 2		
Telephone Number 3		
Mobile/Pager Number		
Fax Number		
E mail ID		
Source:	Govt	PS Unit Military
Activity Name- Search and Rescue		
Enter details of itmes under this category on from 2-A		
Item Code	Item Name	Item present the department / Agency(yes/No)
101	Gas Cutters	
102	Cold Cutters	
103	Bolt Cutters (shears)	
104	Electris Drill	
105	Circular Saw with Diamond Blade (Electric)	
106	Chipping Hammer	
107	Chain Saw- Diamond	
108	Chain Saw-Bullet	
109	Pneumatic Chisel	
110	Cutters-Hydraulic	
111	Cutters-Battery	
Category Name-Speraders		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
112	Spreaders-Hydraulic	
113	Spreaders-Battery	
Category Name-Lifting equlpments		
Enter details of Itmes under this category on Foem2-A		
114	Air Lifting bags (Different capacity) /Tools	
115	Jack with 5 ton lift	
116	lorn shod levers, 10ft. long	
Category Name-Lifting equipments (Search & rescue)		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
117	Shedge hammer	
118	Heavy Axe	
119	Two handled cross cut-saw	
120	chain tackle	
121	Single sheave snatch block	
122	Smoke Blower and Exhauster	

	(133)	
123	Set of rope tackle (3sheave-2sheave)	
124	Gloves-Rcbber, Tested up to 25,000 volt	
125	Stretcger harness (Set)	
126	Scafflod pples For sheer legs	
127	Jumping Cusgions	
128	Rescue Rams	
129	Glass remover( Punch Mark)	
130	Crescent/ adjustable wrenches	
131	Slotted Screwdrivers	
132	Traps 4×4 metes	
133	Blankets	
134	Lifting tackle- 3ton	
135	Chains-6feet (3ton lift)	
136	Aspects Blanket	
137	Soaking kit	
Category Name-Lifting arrangements		
Enter details of Itmes under this category on Foem2-A		
138	Infiatable Light Tower	
139	Light Mest	
140	Search light	
141	Electric Generator	
Activlty Name- Heavy Category Name- Heavy engineering		
Engineering equlpment		
Enter deatalls of Itmes under this category on Foem2-A		
142	Trucks- Aerial lift	
143	Bulldozers wheeled/ chain	
144	Dumper	
145	Earthmovers	
146	Cranes- eavy Duty, Fork type	
147	Tipper- Heavy Duty	
148	Recovery vans Beam type	
149	Snow Beetrers wheeled	
Category Name-Sidlld human resoirce		
Enter details of Itmes under this category on Foem2-B		
150	Search and Rescue Teams For Collapsed Stutures	
151	Search and Rescue Teans with canines	
Activity Name- Food Rescue Category Name-Speciallzed Flood/ Rescue equipments		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
152	Rescie back boards	
153	Diving suit	
154	Under water BA set	
155	Lifebuoy	
156	Lift Jackets	
157	Basket Stretcher	
158	Pneumatic Rope Launcher	

(134)

Category Name-Rescue boats		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
159	Inflatable boat (12 perscns)	
160	Fiber Boats	
161	Motor Boats	
162	Motor Launch	
163	Country Boats	
Category Name-Skilled human resource		
Enter details of itmes under this category on Foem2-B		
164	Divers Teams	
165	Search and Rescue Teans For flood	
Activity- Fier Fighting Category Name-Protective equlpments-specialized		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
166	Suit-Fire entry	
167	Suit-Fire proximity	
168	Suit-Fire appeoach	
169	Suit-NBC	
170	Clothing-Chemical protective (A,B,C,)	
Category Name-Berrthing apparatus set		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
171	Breathing apparatus- self contained	
172	Breathing apparatus- Compressor	
Category Name- Pumps		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
173	Pump-high pressurs, portable	
174	Pump- floating	
Category Name- Ladder		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
175	Extension Ladder	
Category Name-Fire extinguishers		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
176	ABC type	
177	Co2 type	
178	Foam type	
179	DCP type	
180	Halons type	
Category Name-Fie/rescue tenders		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
181	Fire Tender	
182	Foam Tender	
183	Rescue Tender	
184	Control Van	
185	Hydraulic platform	
186	Tum Table ladder	
187	DCP Tender	
188	Hazmat Van	

(135)

189	B.A. Van	
Category Name-Critical suppliers		
Enter details of items under this category on Foem2-C		
190	Fire Fighting Foam	
191	Dey Chemical Powder	
192	Halons	
Category Name- human resource		
Enter details of items under this category on Foem2-B		
193	Oil Installtion-fire fighting team	
194	High Rise Building-Fire fighting team	
195	Ports-fire fighting team	
196	Aviation- fire fighting team	
197	Mines-fire fighting team	
198	Thermal Power Plant- fire fighting team	
199	Nuclear Power Plant- fire fighting team	
Activity Name- Health service		Category Name-Equipments
Enter details of items under this category on Foem2-A		
200	Soine boards	
201	Stretcher normal	
202	Stretcher medical evacuation	
203	Incubators for adults	
204	Incubators for children	
205	First aid Kits	
206	CT scan	
207	MRI	
Category Name- Portable		
Equipments		
Enter details of items under this category on Foem2-A		
208	Portable oxygen cylinder	
209	Portable ventilators	
210	Portable X-rays	
211	Portable ultrasound	
212	Portable ECG	
213	Portable suction unit	
Category Name-Lifesaving equipments		
Enter details of items under this category on Foem2-A		
214	Mechanical ventilators	
215	Defibrillator	
Category Name- Mobile units		
Enter details of items under this category on Foem2-A		
216	Mobile OT unit	
217	Mobile blood bank	
218	Mobile lab service	
219	Mobile hospital	
220	Mobile medical van	



(137)

Category Name-Medium vehicles

Enter details of itmes under this category on Foem2-A

254	Truck	
255	RTV	
256	Mini Bus	

Category Name-Heavy vehicles

Enter details of itmes under this category on Foem2-A

257	Bus	
258	Tractor	
259	trailer	
260	Heavy truck	

Category Name-Special vehicles

Enter details of itmes under this category on Foem2-A

261	Light Ambulance van	
262	Medium Ambulance van	
263	Equipment Toeing Tender	
264	Mobilization Truck	
265	Water Tanker- Medium capacity	
266	Water Tanker- Large capacity	

Activity name-Tele Communclatlon Category Name-Wireless System

Enter details of itmes under this category on Foem2-A

267	VHF Sets Static	
268	VHF Sets Mobile	
269	VHF Sets Static	
270	VHF Sets Mpbile	
271	Walkie Talki sets	
272	HF Sets Static	

Category Name-Sat phones

Enter details of itmes under this category on Foem2-A

273	Mini-M3	
274	V-SAT	
275	INMARSAT	

Category Name-Mobile phones

Enter details of itmes under this category on Foem2-A

276	Mobile Phone GSM	
277	Mobile Phone CDMA	

Category Name-GPS

Enter details of itmes under this category on Foem2-A

278	GPS Hand Sets	
-----	---------------	--

Category Name-Video systems

Enter details of itmes under this category on Foem2-A

279	Video Phone Set	
280	Video Camera Digital	
281	Video Camera Beta	
282	Video Digital	
283	Video Camera DVD	

Category Name-Skilled human resource

Enter details of itmes under this category on Foem2-B



(138)



284	Ham Radio Operatoes	
Activity Name-Nuclear Biological and Chemical specialized Equipments		
Category Name-NBC		
Enter details of itmes under this category on Foem2-A		
285	Air Sampler- battery operated	
286	NBC face mask	
287	Body bags	
288	Monitor- for chemical agents	
289	Capping Kit- for chlorine leak	
290	Containers of AFFF	
291	Monitor- for contamination	
292	Decontamination gears	
293	Direct reading dosimeter	
294	Distress signal unit	
295	Emergency response guide book	
296	Fist aid Kit as per MFR	
297	Fist aid Kit NBC type A	
298	Fist aid Kit NBC type B	
299	Flame ionization detector	
300	GMsurvey meter	
301	High visibility vest	
302	Leak storing device	
303	Leak tester for B.A set	
304	LEL Meter	
305	Mini rad meter	
306	Multi gas deterctor with cut gum bottle	
307	Non sparking brush, brooms hovels	
308	Non sparking tool	
309	PH neter	
310	PH tester	
311	Pikpe squeezer	
312	Platic drums	
313	Detector Kit-for poision in water	
314	Portable alpha monitor	
315	Pprtable decontamination apparatus	
316	Safety line with chimical resistant	
317	Safety touch	
318	Teletector	
319	TLD	
320	Teaffic cones	
321	Ultra violet photo inization detector	
Category Name-Critiacl supplies		
Enter details of itmes under this category on Foem2-C		
322	Decontamination Solution	
323	Lodate Tablets	
Category Name-Skilled hunan resource		
Enter details of itmes under this category on Foem2-B		
324	Search and rescue teams for NBC Disasers	



# INDEX MAP

## DDHARTHANAGAR

SANT-KABIR



**SEASON CONSTRUCTION DIVISION (SANT-KABIR NAGAR)**

ITEMS	QTY	UNIT	AMOUNT
1. ROAD WORK	100	sq. m.	10000
2. DRAINAGE WORK	500	sq. m.	50000
3. BUND WORK	200	sq. m.	20000
4. OTHER WORK	100	sq. m.	10000
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>sq. m.</b>	<b>90000</b>

**SEASON CONSTRUCTION DIVISION (SANT-KABIR NAGAR)**


ITEMS	QTY	UNIT	AMOUNT
1. ROAD WORK	100	sq. m.	10000
2. DRAINAGE WORK	500	sq. m.	50000
3. BUND WORK	200	sq. m.	20000
4. OTHER WORK	100	sq. m.	10000
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>sq. m.</b>	<b>90000</b>

**BASTI**

ITEMS	QTY	UNIT	AMOUNT
1. ROAD WORK	100	sq. m.	10000
2. DRAINAGE WORK	500	sq. m.	50000
3. BUND WORK	200	sq. m.	20000
4. OTHER WORK	100	sq. m.	10000
<b>TOTAL</b>	<b>900</b>	<b>sq. m.</b>	<b>90000</b>

EXECUTIVE ENGINEER  
 REGIONAL CONSTRUCTION DIV.  
 DDHARTHANAGAR

# जनपद सिद्धार्थनगर



### जनपद में:

विकास क्षेत्रों की संख्या	14
महानगर-शहरी क्षेत्रों की संख्या	06
ग्राम-पंचायत-क्षेत्रों की संख्या	07
ग्रामिण, शहरी-ग्राम-क्षेत्रों की संख्या	57
मुख्य कस्बों की संख्या	12
प्रशासनिक क्षेत्रों की संख्या	266

### संकेत:

जनपद सीमा	—
राज्यीय सीमा	—
विकास क्षेत्र का नाम	—
जनपद मुख्यालय	●
मुख्य कस्बा	●
विकास क्षेत्र मुख्यालय	●
रेलवे स्टेशन	—
सड़क	—
समुदाय-क्षेत्र	—
ग्राम-पंचायत	—
ग्रामिण	—
जनसंख्या	2008 (2008)
2002 (2002)	—
2002 (2002)	—

